निष्पादक समिति की दसवीं बैठक दिनांक 18.01.2012

कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.01.2012 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक समिति की दसवीं बैठक शिक्षा संकुल, जयपुर के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष (मंथन) में माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
2. श्री भास्कर ए. सावंत, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
3. श्री आलोक गुप्ता, आयुक्त (मा.शि.) एवं राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर
4. श्री बी. एल. कन्दोई, उप शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर
5. श्री मधुसूदन शर्मा, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. श्रीमती शकुन्तला सिंह, अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर
7. श्री सुबेसिंह यादव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर
8. डॉ. मनीषा अरोड़ा, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
9. श्री विश्राम मीणा, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
10. डॉ. मण्डन शर्मा, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर
11. श्री हरिश्चन्द्र पारगी, शिक्षा उपनिदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
12. श्री बद्रीनारायण दायमा, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
13. श्री देवकी नन्दन शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, आरसीएसई, जयपुर
14. श्री कैलाश चन्द शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, आरसीएसई, जयपुर
15. श्री रवीन्द्र कुमार लाटा, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
16. श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
17. श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर
18. डॉ. रचना शर्मा, सहायक निदेशक, आरसीएसई, जयपुर

इस बैठक में प्रस्तावित एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा के बाद सर्व सम्मति से किए गए निर्णय निम्न प्रकार हैं –

क्र. सं.	[illegible]	चर्चा एवं निर्णय
1	**प्रस्ताव सं. 1 – निष्पादक समिति की नवीं (दिनांक 07.07.11 को आयोजित) बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन करना** दिनांक 07.07.2011 को आयोजित निष्पादक समिति की नवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण एनेक्सर सं. 1 में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	नवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विती को अनुमोदित किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में विद्यालयों द्वारा खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची बनाने हेतु पुस्तक सबमीशन के लिए जारी निविदा को निरस्त किया जाना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की दिनांक 06.06.11 की आठवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में विद्यालयों द्वारा खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची राज्य स्तर पर बनाने हेतु प्रकाशकों से पुस्तक सबमीशन हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी थी। इस निर्णय की अनुपालना में दिनांक 20.06.2011 को विभागीय निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निर्णय की अनुपालना हेतु जारी कार्यालय आदेश व समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। इस संदर्भ में निम्न तथ्य विचारार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है :– **1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा प्रथम बार जारी उक्त विज्ञप्ति में निम्नांकित विसंगतियाँ उभर कर आई है :–** • विज्ञप्ति की शर्त संख्या 7 में प्रकाशकों से आर.एस.टी./सी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य रूप से चाहा गया है परन्तु प्रकाशकों को आर.एस.टी./सी.एस.टी. नम्बर आवंटित नहीं किया जाता है क्योंकि प्रकाशकों को सेल्स टैक्स के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहती। • विज्ञप्ति की शर्त संख्या 7 के अनुसार प्रकाशक अपनी संस्था का पैन कार्ड अनिवार्य रूप से अंकित करेगा परन्तु राजकीय प्रकाशनों के अतिरिक्त प्राईवेट प्रकाशकों का संस्था का पैन कार्ड न होकर प्रोपराईटर का पैन कार्ड ही होता है। अतः संस्था के पैन कार्ड के आधार पर चुनिंदा फर्म ही निकल कर आवेंगी व अधिकांश प्रकाशक इस प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह जाएगें। • राज्य स्तर पर विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त यह विभागीय निर्णय लिया गया कि पुस्तक चयन हेतु एक पैन नम्बर पर प्रकाशक की एक फर्म व एक प्रोपराईटर ही चयन का मुख्य आधार होगी परन्तु यह शर्त न तो विज्ञप्ति में प्रकाशित की गई थी व न ही निष्पादक समिति के स्तर से अनुमोदित है। प्रकाशकों से स्वयं से अपनी अधिकृत फर्म की सूचना मांगे जाने पर लगभग 150 फर्म ऐसी हैं जिन्होंने अपनी किसी फर्म को अधिकृत करने की सूचना नहीं दी है एवं कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी दो अथवा तीन फर्मों को अधिकृत कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधिकृत फर्मों की सूची तैयार किया जाना संभव नहीं है। • विज्ञप्ति की शर्त संख्या 21 में उल्लेखित 5 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जेज रा.मा. शि.प. के नाम प्रकाशक द्वारा जमा कराने की प्रक्रिया अत्यधिक श्रम साध्य एवं विवादास्पद होने से व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है क्योंकि उक्त राशि पहले संस्था प्रधान के स्तर पर जमा होगी एवं फिर जिला स्तर पर संकलित कर परिषद् मुख्यालय पर प्रेषित की जावेगी।	वर्ष 2010–11 में पुस्तक खरीद हेतु निष्पादक समिति की आठवीं बैठक में लिये गये प्रस्ताव के अनुरूप जारी विज्ञप्ति को निरस्त करते हुये इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि पुस्तक क्रय की मद में शेष बची राशि का विद्यालय विकास समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर उपयोग किया जावे तथा अगले वर्ष के लिए SSA के Pattern पर विद्यालयों द्वारा पुस्तक क्रय करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

क्र. सं.		चर्चा एवं निर्णय
	• अधिकांश प्रकाशकों द्वारा विद्यालय स्तर पर पुस्तक सप्लाई करने पर भी लिखित में आपत्ति दर्ज की गई है एवं जिसका आधार बताया गया है कि विद्यालय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया में चैक क्लियरेंस चार्जेज अधिक (लगभग 250/चैक) होता है एवं कई परिस्थितियों में पुस्तक का मूल्य चैक कलैक्शन चार्जेज से कम हो सकता है। • विज्ञप्ति की शर्त संख्या 8 में उल्लेखित है कि ऐसे लेखक/प्रकाशक जो अपने अधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से पुस्तक आपूर्ति करना चाहते है, उन्हें प्रस्तुतिकरण के साथ ही अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि के नाम अधिकृत पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इस बारे में भी अनेक प्रकाशकों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि जब एजेन्ट द्वारा एक ही पैन कार्ड पर एक से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें चयन हेतु प्रस्तुत की जा सकती हैं तो एक पैन कार्ड पर प्रकाशक अपनी एक से अधिक फर्म की पुस्तकें क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकता? अतः एक पैन कार्ड पर एक प्रकाशक की प्रक्रिया अपनाने से विभाग को परिवाद का सामना करना पड़ सकता है। 2. **वर्ष 2010–11 की राशि के संबंध में भी निम्न तथ्य निष्पादक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं–** • दिनांक 20.06.2011 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा वर्ष 2010–11 व 2011–12 हेतु जारी की गई थी। • वर्ष 2010–11 की विद्यालय वार्षिक अनुदान मद की राशि इस प्रक्रिया से काफी समय **पहले ही 8 मार्च, 2011 को जिलों को आवंटित करते हुये उन्हें निर्देशित किया गया था** कि उन्हें प्राप्त राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग विद्यालयों द्वारा 31 मार्च, 2011 से पूर्व व्यय कर दिया जावे। इस राशि में पुस्तक क्रय हेतु जारी राशि भी शामिल थी। • पुस्तक क्रय प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश पहली बार परिषद् मुख्यालय से **दिनांक 27.04.2011 को जारी** किए गये थे। • दिनांक 15.11.2011 को राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों की बैठक के दौरान पुस्तक मद में व्यय की गई राशि की जानकारी प्राप्त करने पर यह फीडबैक मिला है कि **दिनांक 27.04.2011 को आदेश विद्यालयों तक पहुँचने से पहले ही अधिकांश विद्यालयों** द्वारा इस राशि का उपयोग कर लिया गया था। • परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के तहत विद्यालयों को पुस्तक क्रय मद में व्यय की जाने वाली राशि में से 70 प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय सूची में से पुस्तकों का चयन करते हुए तथा **शेष 30 प्रतिशत राशि का** अपनी अन्य आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकों का चयन करते हुये व्यय की जानी थी। उक्त 70 प्रतिशत राशि का उपयोग विद्यालयों द्वारा लगभग कर लिया गया है। अतः वर्ष 2010–11 की अधिकांश राशि विद्यालयों द्वारा व्यय की जा चुकी है तथा शेष बची हुई राशि में से अधिकांश राशि विद्यालयों द्वारा स्वयं ही व्यय की जानी थी। • पुस्तक सबमीशन प्रक्रिया की पत्रावली पर लेखा के विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुस्तकों/जनरल आदि की **क्रय प्रक्रिया विद्यालय विकास समिति द्वारा ही सम्पादित की जानी है।**	

क्र. सं.	[illegible]	चर्चा एवं निर्णय
	उक्त समस्त तथ्यों एवं व्यावहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में चूंकि जारी विज्ञप्ति की शर्तों की पालना करने से विभाग को विभिन्न परिवादों (Litigations) का सामना करना पड़ सकता है। अतः उचित होगा कि उक्त विज्ञप्ति को निरस्त कर इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जावे। प्रस्ताव निष्पादक समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
3	**<u>प्रस्ताव सं. 3 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रहे बालिका छात्रावासों में वार्डन का कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को वार्डन भत्ता देने के साथ ही मकान किराया भत्ता भी स्वीकृत किये जाने तथा वार्डन को शिक्षण कार्य से मुक्त करने की अनुमति प्रदान करना</u>** केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों में वार्डन का कार्य करने वाली अध्यापिका को रु. 3000/– प्रतिमाह का मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। इस अध्यापिका को बालिका छात्रावास में वार्डन का कार्य करने के साथ ही नजदीक के किसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी करवाना होता है। छात्रावास में इस अध्यापिका को निःशुल्क आवास हेतु एक कमरा दिया जाता है। निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाये जाने के आधार पर अध्यापिका को मिलने वाले वेतन में से मकान किराये भत्ते की कटौती कर ली जाती है। इस प्रकार उस अध्यापिका को बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत देय रु. 3000/– के मानदेय में से मकान किराये भत्ते की कटौती होने के बाद प्रतिमाह केवल रु. 1000/– से 1500/– तक की राशि का ही वास्तविक लाभ होता है। इसके अलावा यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि छात्रावास में रहने हेतु दिया गया एक कमरा महिला अध्यापिका के परिवार की आवास व्यवस्था हेतु अपर्याप्त रहता है। दूसरी तरफ वार्डन की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही अध्यापिका की जिम्मेदारी निभाने की बाध्यता होने के कारण शिक्षण कार्य करवाने, लिपिकीय कार्य करने, बालिकाओं के अध्ययन में मदद करने, बालिकाओं के अभिभावक की तरह कार्य करने का उत्तरदायित्व होने के कारण वार्डन का कार्य करने वाली शिक्षिका का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाता है। कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने तथा प्रतिफल में बहुत कम राशि प्राप्त होने के कारण वार्डन हेतु योग्य शिक्षिकाएं सहमत नहीं होती हैं। अब तक के प्रयासों के आधार पर यह अनुभूत हुआ है कि महिला अध्यापिकाओं को प्रशासनिक आदेशों के द्वारा वार्डन का कार्य करने के लिए बाध्य करने पर वे अवकाश पर रहने, अधिकारियों पर दबाव डलवाकर वार्डन के दायित्व से मुक्त करने के आदेश प्रसारित करवाने का प्रयास करने लग जाती हैं। योग्य वार्डन की अनुपलब्धता होने के कारण बालिका छात्रावास योजना की प्रभावी क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि बालिका छात्रावास योजना का सफल संचालन पूर्णतया योग्य वार्डन पर ही निर्भर है। अतः महिला अध्यापिकाओं को वार्डन का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया जाता है कि – 1. वित्तीय नियमों में शिथिलन देते हुए वार्डन को छात्रावास में निःशुल्क आवास मिलने पर भी उस अध्यापिका को मिलने वाला मकान किराया भत्ता मिलता रहे। 2. छात्रावास में वार्डन का कार्य करने वाली अध्यापिका को शिक्षण कार्य से मुक्त करते हुए पूर्णकालिक वार्डन का दायित्व दिया जाये। उक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	1. छात्रावास वार्डन को निःशुल्क आवास मिलने पर भी मकान किराया भत्ता मिलने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जाये। 2. वार्डन को शिक्षण कार्य से मुक्त करने से पहले यह देखा जावे कि यदि किसी छात्रावास की वार्डन को पास के विद्यालय में नियुक्ति दी जा सकती है तो नियुक्ति देकर शिक्षण व वार्डन कार्य करवाया जावे। फिर भी आवश्यकता होने पर प्रत्येक छात्रावासवार विशेष कारण के आधार पर शिक्षण कार्य से मुक्त करने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा जावे।

क्र. सं.	[illegible]	चर्चा एवं निर्णय
4	**प्रस्ताव सं. 4 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रहे बालिका छात्रावासों में वार्डन का कार्य करने हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापिका पद पर कार्य कर रही अध्यापिकाओं को भी अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही का अनुमोदन करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में संचालित किये जा रहे 50 बालिका छात्रावासों में से कुछ छात्रावासों में अनेक प्रयासों के पश्चात भी वार्डन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छात्रावास का सफल संचालन योग्य वार्डन पर ही निर्भर करता है। वर्तमान में वार्डन के पद पर द्वितीय श्रेणी की वरिष्ठ अध्यापिकाओं अथवा प्रथम श्रेणी की व्याख्याताओं को नियुक्त किया गया है। किन्तु वार्डन की कमी को देखते हुए वार्डन का कार्य करने हेतु संबंधित जिले या अन्य किसी जिले में अध्यापिका (तृतीय श्रेणी) के पद पर कार्य कर रही ऐसी महिलायें जिनकी शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक की हो को भी आवश्यक समझे जाने पर वार्डन पद पर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय अध्यक्ष निष्पादक समिति द्वारा लिया जाकर वार्डन की नियुक्ति प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा से की जा रही है (इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति एनेक्सर 3 पर संलग्न है)। अतः बालिका छात्रावासों में वार्डन पद पर नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	**प्रस्ताव सं. 5 – बालिका छात्रावास योजना की MMER मद से वार्डन सहायिका के मानदेय का भुगतान करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की दिनांक 07.07.2011 को आयोजित नवीं बैठक में प्रस्ताव सं. 11.1 (वार्डन सहायिका की सेवाएं एजेन्सी के साथ अनुबंध के आधार पर MMER की राशि से लेने के क्रम में) के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि – **"वार्डन सहायिका की सेवायें लेने के स्थान पर वित्त विभाग के दिनांक 17.06.2011 के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करते हुए पहले सेवाओं का चिन्हीकरण किया जाये। इसके पश्चात् ही एजेन्सियों के माध्यम से इन सेवाओं की प्राप्ति की जावे। इसके साथ ही समानान्तर कार्यवाही के रूप में वार्डन सहायिका का पद स्वीकृत कराने हेतु वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भिजवाया जावे।"** उक्त निर्णय की अनुपालना में वित्त विभाग के 17.06.2011 के आदेश के अनुरूप सेवाओं का चिन्हीकरण करते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से बालिका छात्रावासों में वार्डन सहायिका सेवाओं की व्यवस्था की गई है तथा समानान्तर कार्यवाही के रूप में वार्डन सहायिका का पद स्वीकृत कराने हेतु परिषद् के द्वारा प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा को दिनांक 27.07.11 व 24.10.2011 को भिजवा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस निर्णय के समय निष्पादक समिति द्वारा वार्डन सहायिका की सेवाओं पर होने वाले भुगतान को बालिका छात्रावास योजना की एमएमईआर मद से वहन करने का निर्णय लम्बित रखा गया था। किन्तु वार्डन सहायिका की सेवाओं का भुगतान करने हेतु संबंधित फर्मों द्वारा निरन्तर मांग किये जाने के कारण वार्डन सहायिका सेवाओं की व्यवस्था पर होने वाले व्यय को जुलाई 2011 से आगामी 1 वर्ष अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वार्डन सहायिका सेवाओं पर होने वाले व्यय भार को वहन करने की स्वीकृति प्राप्त होने में से जो भी पहले हो उस समय तक परिषद् के पास उपलब्ध बालिका छात्रावास योजना की MMER मद से वहन करने का निर्णय अध्यक्ष निष्पादक समिति द्वारा लिया जाकर वार्डन सहायिका सेवाओं का भुगतान किया जा रहा है।	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार से पद स्वीकृति हेतु बजट की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावे।

क्र. सं.		चर्चा एवं निर्णय
	अतः बालिका छात्रावासों में वार्डन सहायिका सेवाओं का भुगतान बालिका छात्रावास योजना की MMER मद से किये जाने के निर्णय की जानकारी सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
6	**प्रस्ताव सं. 6 – बालिका छात्रावास योजना की MMER मद से अनुबंध पर ली जा रही सेवाओं के सेवाकर व सेवा शुल्क का भुगतान करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जुलाई, 2011 से अब तक संचालित 67 बालिका छात्रावासों में चौकीदारी, हैडकुक, कुक, वार्डन सहायिका की सेवाएं सेवा प्रदाता फर्म से अनुबन्ध पर ली गयी हैं। इन सेवाओं हेतु सेवा प्राप्ति हेतु दिये जाने वाले भुगतान के अलावा सेवाप्रदाता फर्म द्वारा मांगा गया सेवा शुल्क (जो विभिन्न जिलों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक है) तथा सरकार को देय नियमानुसार सेवाकर भी दिया जाना है। भारत सरकार द्वारा बालिका छात्रावास योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों में सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने वाली एजेन्सी को दिये जाने वाले सेवा शुल्क (Service Charge) तथा सेवाकर (Service Tax) का भुगतान करने हेतु कोई स्पष्ट मद आवंटित नहीं है। अतः छात्रावासों में ली गयी सेवाओं के पेटे सेवा शुल्क एवं सेवा कर को बालिका छात्रावास योजना की MMER मद से वहन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7	**प्रस्ताव सं. 7 – तृतीय चरण के बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत स्थानों में परिवर्तन करना** बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में 74 बालिका छात्रावासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। तृतीय चरण के 112 बालिका छात्रावासों में से 52 बालिका छात्रावासों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। तृतीय चरण के शेष बचे 60 स्थानों पर बालिका छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। पूर्व के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि बालिका छात्रावास के निर्माण का स्थल स्थानीय आबादी तथा उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालयों से दूर होने पर जहां इन बालिका छात्रावासों में बालिकाएं प्रवेश नहीं लेती हैं वहीं छात्रावास संचालन हेतु वार्डन भी नहीं मिल पाती है। स्थानीय आबादी व विद्यालय से दूर होने पर छात्रावासों में पर्याप्त व्यवस्थाएं कर पाना, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में कठिनाई होना, छात्राओं का अभिभावकों से सम्पर्क नहीं हो पाना, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाना आदि समस्याऐं उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में दिनांक 23.07.2010 को भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किये गये स्थानों का गत दो तीन माहों में राज्यस्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर यह पाया गया है कि इनमें से कुछ स्थान बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं हैं। अतः उपयुक्त स्थानों पर बालिका छात्रावासों का निर्माण किये जाने के उद्देश्य से पूर्व स्वीकृत स्थानों में निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है–	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये निर्देशित किया गया कि भारत सरकार को सूचित करते हुए प्रस्ताव की क्रियान्विति की जावे।

क्र. सं.							चर्चा एवं निर्णय
	क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	दिनांक 23.07.10 की PAB स्वीकृत स्थल / भारत सरकार द्वारा पुनः स्वीकृत संशोधित स्थल	PAB द्वारा स्वीकृत स्थल के स्थान पर परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित परिवर्तन का कारण	परिवर्तित स्थल से निकटतम मा./उ.मा. विद्यालय की दूरी
	1	2	3	4	5	6	7
	1	स.माधोपुर	खण्डार	केजीबीवी केम्पस खण्डार	केजीबीवी केम्पस खण्डार से 200 मीटर दूर।	पर्याप्त स्थान का अभाव केजीबी वी एवं बा.छा. एक ही स्थल में होने से अतिरिक्त स्थल का अभाव	राबाउमावि–1किमी., राउमावि–1.5 किमी.
	2	जोधपुर	बिलाड़ा	केजीबीवी केम्पस, भावी	राउमावि परिसर बिलाड़ा	ब्लॉक मुख्यालय पर स्थान उपलब्ध होना	राउमावि–0.0 किमी.
	3	जोधपुर	भोपालगढ़	केजीबीवी केम्पस, रतकुड़िया	ब्लॉक मुख्यालय पर पंचायत समिती भूमि	ब्लॉक मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध होना	राबाउमावि/राउमावि–0.7 किमी.
	4	नागौर	डेगाना	केजीबीवी केम्पस, लांगोर	बीआरसीएफ परिसर डेगाना,	पूर्व स्थल उचित नही (गैर आबादी वाला क्षैत्र, कच्चा रस्ता, निकट में तालाब, विद्यालय के रास्ते में बिना फाटक का)	राबाउमावि–0.7 किमी.
	5	सिरोही	शिवगंज	(1) केजीबीवी केम्पस, बड़गाँव (2) राउमावि, शिवगंज	राबाउमावि शिवगंज का परिसर	(1) प्रथम स्थल ब्लॉक मुख्यालय से दूर है। (2) पूर्व स्थल पर जनता द्वारा विरोध। यह भूमि भी पूर्व भूमि के पास ही है एवं बालिका सीनीयर की दीवार से जुड़ी हुई है। कला एवं विज्ञान संकाय उपलब्ध। अतः उपयुक्त।	राउमावि./राबाउमावि–0.0 किमी.
	6	चितौड़गढ़	भोपाल सागर	राउमावि कांकरवां के पास	राउमावि खेल मैदान भोपालसागर	ब्लॉक मुख्यालय (पूर्व स्थल कांकरवा 8 किमी. दूर)	राउमावि–0 किमी.
	7	बीकानेर	लूणकरणसर	राउमावि अर्जुनसर	लूणकरणसर मुख्यालय, प्राथमिक विद्यालय के नजदीक	ब्लॉक मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध होना निकट राबाउमावि स्थित जहां समस्त संकाय उपलब्ध	राबाउमावि–1.5 किमी.
	8	राजसमन्द	खमनौर	(1) केजीबीवी केम्पस, खमनौर (2) ब्लॉक मुख्यालय, खमनौर	राउमावि, नाथद्वारा	(1) प्रथम स्थल ब्लॉक मुख्यालय से दूर है। (2) पूर्व चयनित स्थल एक पहाडी पर स्थित है जहाँ सुरक्षा व आवागमन की समस्या है।	राउमावि–0.0 किमी
	9	चितौड़गढ़	बड़ी सादड़ी	(1) राउमावि, बोहेडा (2) राबामावि, बोहेडा	राउमावि, बड़ी सादड़ी का खेल मैदान	पूर्व स्वीकृत स्थल ब्लॉक मुख्यालय से 8 किमी दूर है।	राउमावि–0.0 किमी

अतः बालिका छात्रावासों के पूर्व स्वीकृत स्थलों के स्थान पर नये स्थानों का चयन करने की स्वीकृति हेतु उक्त प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.		चर्चा एवं निर्णय
8	**प्रस्ताव सं. 8 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) की बैठक में बाहरी राज्यों से आये अतिथियों को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल गणगौर में ठहराने पर हुये व्यय का भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त करना** भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं का अप्रेजल करने तथा स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से गठित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) की ग्यारहवीं बैठक का जयपुर में आयोजन करने तथा इस बैठक में भाग लेने हेतु मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों के शासन सचिव, राज्य परियोजना निदेशकों सहित इन राज्यों से आये सभी प्रतिनिधियों तथा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सदस्यों व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों आदि के निवास, भोजन आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दी गई थी। दिनांक 13 व 14 जून 2011 को आयोजित उक्त बैठक में आने वाले अतिथियों के आवास व भोजन की व्यवस्था राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल गणगौर, जयपुर में की गई थी। इस बैठक में आने वाले अतिथियों में से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रतिनिधियों की आवास व भोजन व्यवस्था पर होने वाला व्यय स्वयं प्रतिनिधियों को ही वहन करना था तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के आवास व भोजन व्यवस्था तथा बैठक के आयोजन पर होने वाला व्यय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को वहन करते हुये एडसिल, नई दिल्ली से पुनर्भरण की मांग करना था। किंतु, बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने उनकी आवास व भोजन व्यवस्था पर हुए व्यय का भुगतान होटल गणगौर को नहीं किया था। इन सभी अतिथियों के लिए आवास व भोजन व्यवस्था करने हेतु होटल गणगौर में व्यवस्था करने का पत्र आरटीडीसी होटल गणगौर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ही लिखा गया था। अतः होटल गणगौर के द्वारा इन सभी संभागियों पर हुए व्यय का बिल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान राज्य की अतिथि सम्मान की परम्परा, पर्यटन विकास निगम के होटल गणगौर का राज्य सरकार का ही उपक्रम होने, सभी संभागियों का उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी होने, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधियों पर होने वाले व्यय को तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किये जाने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली राशि में से ही वहन करने आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित सभी प्रतिनिधियों के भोजन व आवास व्यवस्था पर हुआ समस्त व्यय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वहन करना एवं एडसिल, नई दिल्ली से व्यय पुनर्भरण की मांग किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विवरण के अनुसार होटल गणगौर द्वारा प्रस्तुत बिल की कुल राशि रु. 86,069/– का भुगतान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किये जाने तथा बिल के पुनर्भरण की मांग एडसिल, नई दिल्ली द्वारा अथवा संबंधित राज्यों के अधिकारियों से की जाये इसके निर्णयार्थ प्रकरण निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि RTDC के बिल का भुगतान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा करते हुये राशि के पुनर्भरण की मांग एडसिल, नई दिल्ली से की जावे।
9	**प्रस्ताव सं. 9 – सिविल कार्यों के अन्तर्गत अभियान्त्रिकी शाखा हेतु आरक्षित आकस्मिक व्यय मद की 3% एवं क्वालिटी कन्ट्रोल मद की 1% राशि के उपयोग के संबंध में** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चल रही बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चल रहे सिविल कार्यों के मॉनीटरिंग, क्रियान्वयन, क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 3 प्रतिशत राशि आकस्मिक व्यय में तथा 1 प्रतिशत राशि क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निष्पादक समिति की 9 वीं बैठक में	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.		[illegible]
	आरक्षित की गई है। इस राशि को अन्य के अलावा निम्न कार्यों में उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है:– 1. जिलों में सिविल कार्यों के प्रभावी निरीक्षण हेतु जिलों में पद स्थापित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के लिये एक वाहन किराए पर लेने हेतु वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार किया जाने वाला व्यय। 2. राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिलों में पद स्थापित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता हेतु प्रतिमाह क्रमशः 750 एवं 500 रूपये टेलिफोन/मोबाइल व्यय हेतु। 3. जिलों में सेवा प्रदाता से उपलब्ध करवाये गए एक कम्प्यूटर मशीन ऑपरेटर के भुगतान पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार आकस्मिक व्यय मद से करने पर होना वाला व्यय। उक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
10	**<u>प्रस्ताव सं. 10 – राज्य में मॉडल स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में अनुमोदित 91 ब्लॉक्स में से 23 ब्लॉक्स की भूमि के पुनः आवंटन का अनुमोदन</u>** मॉडल स्कूल निर्माण हेतु राज्य स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रथम चरण के अनुमोदित 91 ब्लॉक्स हेतु निविदा जारी की गई है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा उक्त 91 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल के सफल संचालन की दृष्टि से पूर्व अनुमोदित भूमि का राज्यस्तरीय निरीक्षण दलों द्वारा भौतिक निरीक्षण करवाया गया। राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों द्वारा इन 91 ब्लॉक्स में से 59 ब्लॉक्स में अनुमोदित एवं आवंटित भूमि को उपयुक्त पाया गया। शेष 32 ब्लॉक्स में पूर्व आवंटित भूमि को व्यावहारिक व तकनीकी कारणों से अनुपयुक्त पाया गया। इस पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश प्रदान किया गया कि इन मॉडल स्कूलों के साथ छात्रावास नहीं बनने के कारण इन स्कूलों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थल ब्लॉक मुख्यालय के पास होना चाहिए, ताकि इन स्कूलों के बालकों, शिक्षकों व अन्य कार्मिकों को किराये के आवास, चिकित्सा, पेयजल आदि की व्यवस्था मिल सकें। इन निर्देशों की पालना में राज्य स्तरीय दलों द्वारा इन 32 ब्लॉक्स के पूर्व निर्धारित भूमि स्थलों के बजाय अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों की भूमियों का भी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण कार्यक्रम में 23 ब्लॉक्स में पूर्व आवंटित भूमियों की तुलना में नवीन प्रस्तावों को अधिक उपयुक्त माना गया। अतः इन ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु भूमि का पुनः आवंटन करवाने हेतु परिषद् स्तर से संबंधित जिला कलक्टर्स को पूर्व में आवंटित की गई भूमि को निरस्त करते हुए पुनः उपयुक्त भूमि का आवंटन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों की अनुपालना में संबंधित जिलों में नवीन भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। शेष 9 ब्लॉक्स में पूर्व आवंटित भूमियों के स्थान पर नवीन स्थानों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। (संलग्न–एनेक्सर 3) अतः भारत सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत 91 मॉडल स्कूलों में से 32 मॉडल स्कूलों के स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया हेतु उक्तानुसार की जा रही कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये निर्देशित किया गया कि भारत सरकार को सूचित करते हुए प्रस्ताव की क्रियान्विति की जावे।

क्र. सं.		बैठक में निर्णय
11	**प्रस्ताव सं. 11 – GIS मेपिंग के क्रियान्वयन हेतु व्यय कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि का भुगतान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्री–प्रोजेक्ट एक्टिविटी मद से किए जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना** माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2011 को राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित बैठक में GIS मेपिंग क्रियान्वयन के लिए रामाशिप, जयपुर एवं राप्राशिप, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मास्टर डाटा बेस निर्माण किये जाने का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय व GIS कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई समन्वय समिति की बैठक जो अतिरिक्त निदेशक, राप्राशिप, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर दोनों संस्थाओं द्वारा आनुपातिक रूप से वित्तीय सहभागिता निभाई जायेगी। विद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् व माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वहन की जाने वाली राशि क्रमशः 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत बनती है। इस आधार पर राज्य में GIS मेपिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल व्यय की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्री–प्रोजेक्ट एक्टिविटी मद से किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12	**प्रस्ताव सं. 12 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् के पदनामों के अनुरूप किया जाना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् व प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् में एक ही कैडर के अधिकारी का पद नाम अलग – अलग है। इससे क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य राज्य स्तरीय अधिकारियों की हैसियत के संबंध में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। यथा – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में उप निदेशक शिक्षा के पद पर उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रावधान है जबकि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् में उपनिदेशक शिक्षा सेवा स्तर के अधिकारियों को संयुक्त निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सहायक निदेशक के पद पर प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा) के समकक्ष अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रधानाध्यापक/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों को उपनिदेशक के पद पर तथा व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि. समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारियों में राज्यस्तरीय अधिकारियों की हैसियत के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न नहीं हो तथा राज्यस्तरीय अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले आदेशों की पालना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो इस उददेश्य से यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा परिषद् की तरह ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् में शिक्षा सेवा के उपनिदेशक का पद नाम उपनिदेशक के बजाय संयुक्त निदेशक, प्रधानाचार्य सीनियर सैकण्डरी स्कूल एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों का पद नाम सहायक निदेशक के बजाय उपनिदेशक तथा व्याख्याता उमावि./प्रधानाध्यापक मावि. एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों का पद नाम कार्यक्रम अधिकारी के बजाय सहायक निदेशक किया जावें। उक्त प्रस्तावों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: –	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.		प्रस्ताव एवं निर्णय

क्र. सं.	रा.मा.शि.प. में पदनाम	रा.मा.शि.प. के पद की निर्धारित योग्यता	राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् में कॉलम 3 के समकक्ष योग्यता का पदनाम	रा.मा.शि.प. में कॉलम 3 की योग्यता व प्रारंभिक शिक्षा परिषद् के अनुसार संशोधित किये जाने वाला प्रस्तावित पदनाम
1	2	3	4	5
1	उपनिदेशक, शिक्षा	शिक्षा विभाग में उपनिदेशक स्तर का अधिकारी	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक
2	सहायक निदेशक	प्रधानाचार्य सीनियर सैकण्डरी स्कूल एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी	उपनिदेशक	उपनिदेशक
3	कार्यक्रम अधिकारी	व्याख्याता उमावि./ प्रधानाध्यापक मावि. एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव के अनुमोदन से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आर्थिक भार के पड़ने की कोई संभावना नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अधिकारियों के पदों का विवरण एवं विज्ञप्ति, एनेक्सर 5ए पर तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् में राज्य स्तरीय पदों का विवरण, एनेक्सर 5बी पर संलग्न है।

उक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ निष्पादन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

13 **<u>प्रस्ताव सं. 13 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में विद्यालयों में भौतिक अधोसंरचना का विकास करने हेतु सिविल कार्य करवाने योग्य विद्यालयों का चयन करने के मानदण्ड तय करना</u>**

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की चतुर्थ वार्षिक योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। गत वर्षों के समान ही वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना भी सेमिस के आँकडों के आधार पर बनाई जानी है। इस समय सेमिस के आँकडे एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही वार्षिक योजना लिखने का कार्य भी प्रगति पर है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक योजना का सबसे बड़ा व प्रमुख भाग विद्यालयों में भौतिक अधोसंरचना का विकास करने हेतु विद्यालयों में विभिन्न सिविल कार्य करवाना होगा। विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सिविल कार्य करने हेतु दिनांक 24.02.2011 को आयोजित निष्पादक समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में शामिल किये जाने वाले विद्यालयों का चयन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया गया था –

(i) जिन विद्यालयों को सिविल निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन विद्यालयों को इस वर्ष की योजना में सिविल निर्माण कार्य करवाने हेतु वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया जावे।

(ii) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (ईबीबी) से कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन वाली 9 विद्यालयों का चयन किया जाये।

सिविल कार्यों हेतु विद्यालयों के चयन हेतु वैज्ञानिक आधार तथा विधायकों की अनुशंषा में सामंजस्य बनाते हुये प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जावें।

क्र. सं.		कार्य एवं निर्णय
	(iii) बिना ईबीबी वाले अन्य ब्लॉक में सिविल कार्यों हेतु प्रत्येक ब्लॉक से कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन वाली 5 विद्यालयों का चयन किया जावे। (iv) शहरी क्षेत्रों में भी सिविल कार्यों हेतु विद्यालयों का चयन उन विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम नांमाकन अनुसार ही किया जावे। शहरी क्षेत्रों में चयन की जाने वाली विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार रखी जावेः– अ) संभाग मुख्यालय का शहर – 5 विद्यालय प्रति शहर ब) जिला मुख्यालय का शहर – 3 विद्यालय प्रति शहर स) ऐसा शहर जो जिला या संभाग का मुख्यालय नहीं है किन्तु जहां नगर परिषद् है – 2 विद्यालय प्रति शहर द) उक्त के अलावा अन्य नगर पालिका क्षेत्र – 1 विद्यालय प्रति शहर (v) जिलों में उक्त आधार पर चयन में यदि कोई ऐसी विद्यालय पाई जाती है जिसमें नामांकन कम है किन्तु स्थानीय परिस्थितियों /सुविधाओं के अभाव के कारण सिविल कार्य तुरंत कार्य करवाया जाना आवश्यक है तो प्रत्येक जिले से पांच विद्यालयों का अनुभूत आवश्यकता के आधार पर चयन किया जावे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम/माध्यमिक द्वितीय से प्रस्ताव लेकर वार्षिक योजना में शामिल किये जाये। (vi) उक्तानुसार चयन करते समय यह देखा जावे कि पूरे राज्य में से कम से कम 60 संस्कृत विद्यालय सिविल कार्यों हेतु चयनित हो जावे। उक्त निर्देशों के अनुरूप ही वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना बनाई गई थी। किन्तु, दिनांक 16.09.2011 व दिनांक 25.09.2011 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त मानदण्डों के स्थान पर विद्यालयों का चयन विधानसभा क्षेत्रवार किया जाना चाहिए (समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण एनेक्सर 5ए व 5बी पर संलग्न है)। शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में सिविल निर्माण कार्य करवाने योग्य विद्यालयों का चयन किये जाने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है :– (i) जिन विद्यालयों को सिविल निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 व 2011–12 की वार्षिक योजना में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन विद्यालयों को इस वर्ष की योजना में सिविल निर्माण कार्य करवाने हेतु वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया जावे। (ii) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010–11 से लेकर वर्ष 2012–13 तक की तीनों वार्षिक योजनाओं में शामिल किये जाने वाले सभी विद्यालयों की संख्याओं तथा आवंटित होने वाले संभावित बजट का समान वितरण करने की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या व कुल बजट इस प्रकार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीनों वर्षों में कुल मिलाकर 15 से 25 तक विद्यालय तथा लगभग तीन करोड़ से चार करोड़ रूपये की राशि तक के कार्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आ जावें।	

क्र. सं.		[illegible]
	जिन विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या अधिक है उन विधानसभा क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक कार्य दिया जा सकता है। (iii) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सिविल कार्यों हेतु चयनित विद्यालयों का निर्धारण उस क्षेत्र में उत्पन्न मांग के आधार पर किया जाना है। अतः इन विद्यालयों का चयन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा प्रस्तुत वरियता सूची में से किया जाना प्रस्तावित है। (iv) जिलों में उक्त आधार पर चयन में यदि कोई ऐसी विद्यालय पाई जाती है जिसका स्थानीय विधायक द्वारा प्रस्तुत सूची में नाम नहीं है किन्तु, स्थानीय परिस्थितियों /सुविधाओं के अभाव के कारण सिविल कार्य तुरंत कार्य करवाया जाना आवश्यक है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनों में से चयनोपरान्त निम्न सीमा के अधीन विद्यालयों के प्रस्ताव वार्षिक योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है– (a) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा – प्रति अधिकारी 5 विद्यालय (b) उपनिदेशक संभाग मुख्यालय – प्रति अधिकारी 5 विद्यालय (c) अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (रामाशिप) – 10 विद्यालय (d) राज्य परियोजना निदेशक, (रामाशिप) – 15 विद्यालय (e) अध्यक्ष, निष्पादक समिति (रामाशिप) – 20 विद्यालय उक्तानुसार कुल मिलाकर 285 विद्यालय पूरे राज्य से चयन किये जा सकते हैं। (v) 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित लक्ष्यों (12वीं पंचवर्षीय योजना के गतिविधिवार लक्ष्यों का विवरण एनेक्सर–5सी पर संलग्न है) के अनुरूप वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में पूरे राज्य में लगभग 3200 विद्यालयों का सिविल कार्य निर्माण हेतु चयन किया जाना है। उक्त प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	
14	**<u>प्रस्ताव सं. 14 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में विद्यालयों में मेजर रिपेयर कार्य करवाने योग्य विद्यालयों का चयन करने के मानदण्ड तय करना</u>** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक कक्षाओं का संचालन करने वाली राजकीय विद्यालयों को भवन मरम्मत मद में राशि जारी की जाती है। इस मद में विद्यालयों के पुराने भवनों की मरम्मत के लिये कक्षा 9 व 10 में 2 सेक्शन होने पर 2.00 लाख रुपये प्रति विद्यालय तथा कक्षा 9 व 10 में 4 सेक्शन होने पर 4.00 लाख रू. प्रति विद्यालय की दर से राजकीय विद्यालयों में भवन मरम्मत हेतु आवश्यक राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक भवन मरम्मत हेतु विद्यालयों का चयन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांग के अनुरूप ब्लॉकवार बनाई गई सूची के अनुरूप ही किया जाता है किन्तु दिनांक 29.11.2011 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गतिविधियों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप मेजर रिपेयर कार्य हेतु विद्यालयों का चयन पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाना है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि मेजर रिपेयर कार्य हेतु विद्यालयों का चयन निम्न मानदण्डों के आधार पर किया जावे – (a) जिस विद्यालय को मेजर रिपेयर कार्य के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जानी है उस विद्यालय के पास स्वयं के भवन का स्वामित्व होना चाहिए।	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.		
	(b) विद्यालय के भवन में जिन कमरों की मरम्मत की जानी है वे कम से कम 10 वर्ष पुराने हों। (c) विद्यालय को गत 5 वर्षों में मेजर रिपेयर मद में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सहित सरकार के अन्य किसी कार्यक्रम अथवा योजना के तहत मेजर रिपेयर मद में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। (d) विद्यालय के द्वारा सिविल शाखा के अभियंताओं के द्वारा बनाये गये एस्टीमेट व फोटोग्राफ सहित मांग प्रस्तुत की गई है। (e) विद्यालय का नाम स्थानीय विधायक द्वारा सिविल कार्यों हेतु चयनित किये जाने वाले विद्यालयों की वरीयता सूची में है अथवा जिला परियोजना समन्वयक (रामाशिप) द्वारा इस विद्यालय का चयन किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है। (f) इस वर्ष पूरे राज्य में लगभग 1000 विद्यालयों का मेजर रिपेयर कार्य हेतु चयन किया जावें। (g) मेजर रिपेयर कार्य हेतु चयनित विद्यालयों तथा सिविल कार्यों हेतु चयनित विद्यालयों का विधानसभावार समान वितरण हो। उक्त प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।	
15	**<u>प्रस्ताव सं. 15 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में विद्यालयों में वार्षिक अनुदान हेतु राशि की मांग करने के मानदण्ड तय करना</u>** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार राज्य के उन समस्त राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिनमें कक्षा 9 व 10 संचालित होती हैं, के लिए प्रति विद्यालय 50,000/– रु. वार्षिक अनुदान की राशि दी जा सकती है। यह राशि विद्यालयों में जल व विद्युत सुविधा हेतु प्रति विद्यालय 15,000/– रु. प्रतिवर्ष, कक्षा 9 व 10 के समेकित विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरणों के रख–रखाव व रसायनों के क्रय तथा प्रतिस्थापन हेतु प्रति विद्यालय रु. 25,000/– प्रतिवर्ष तथा पुस्तकालय व वाचनालय में पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रु. 10,000/– प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। किंतु इस संबंध में निम्न तथ्य विचारणीय हैं:– (i) राज्य में स्थित कुल 11,500 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 9000 से अधिक में समेकित विज्ञान प्रयोगशालायें नहीं हैं। लगभग इतनी ही विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा नहीं है तथा लगभग 2000 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। (ii) वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में नवक्रमोन्नत 5000 विद्यालयों हेतु विज्ञान–प्रयोगशाला मद में राशि की मांग नहीं की गई थी, फिर भी इनके लिए इस मद में राशि जारी कर दी गई। (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भारत सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान मद में जिन मदों में राशि जारी की जाती है, उन मदों में अधिकतर विद्यालयों को इतनी अधिक राशि की आवश्यकता नहीं रहती है तथा जिन मदों में राशि की आवश्यकता रहती है उन मदों में उन्हें कोई राशि प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकता भी भिन्न–भिन्न होती है। इस कारण से ही वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में एक समान रूप से प्राप्त प्रति विद्यालय 50,000/– रु.	विद्यालय वार औसत खर्च 50000/– रुपये प्रति विद्यालय रखते हुये राशि के नामांकन व मदवार पुनर्वितरण के लिए प्रस्ताव बनाये जावें।

क्र. सं.	विषय	समिति के निर्णय
	की राशि को निष्पादक समिति के निर्णयानुसार विद्यालयों के नामांकन के अनुसार 43,000/– रु. से लेकर 1,00,000/– रु. प्रति विद्यालय की दर से वितरित किया गया था। इसी प्रकार विद्यालयों को इस राशि के उपयोग की स्वतंत्रता देते हुए 3 मदों के स्थान पर 9 मदों में व्यय करने की स्वतंत्रता दी गई थी। (iv) वर्ष 2011–12 की राजस्थान राज्य की आरएमएसए की वार्षिक योजना को मंजूरी देते समय पी.ए.बी. द्वारा विद्यालय वार्षिक अनुदान की राशि के नामांकन के अनुसार पुनर्वितरण तथा मदों के पुनर्निधारण के सुझाव को उपयोगी तो माना किंतु इसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का निर्णय दिया। (v) किसी मद विशेष में प्राप्त राशि का दूसरी मद में उपयोग करने पर भविष्य में ऑडिट दल द्वारा आक्षेप भी आक्षेप किया जा सकता है। इन तथ्यों के मध्यनजर निष्पादक समिति के समक्ष यह बिन्दु निर्णयार्थ प्रस्तुत है कि विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में तीन के स्थान पर नौ मदों में ही नामांकन की आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जावे अथवा आरएमएसए के मानदण्डों के अनुसार केवल तीन मदों में ही तथा विद्यालय में उपलब्ध पूर्व सुविधाओं के अनुसार (अर्थात् जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 की समेकित विज्ञान प्रयोगशाला है उनमें विज्ञान प्रयोगशाला मद में, जिन विद्यालयों में पुस्तकालय है उनमें पुस्तकालय मद में तथा वास्तविक मांग के अनुसार जल व विद्युत व्यवस्था मद में) राशि की मांग की जावे। उक्त प्रकरण अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
16	**प्रस्ताव सं. 16 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों की आवासीयता का निर्धारण करने हेतु** गत वर्षों के अनुभव से यह देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को रात्रिकाल में शिविर स्थल पर ही अनिवार्य रूप से रोकते हुये आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अत्यंत अव्यावहारिक होता है। यद्यपि कुछ वरिष्ठ अध्यापक शिविर स्थल पर ही रूकते हैं किन्तु अधिकतर वरिष्ठ अध्यापक सायंकाल अपने घर ही वापस जाना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में मई, 2011 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जो वरिष्ठ अध्यापक रात्रिकाल में शिविर स्थल पर रूकना चाहें, उन्हें आवास व भोजन सुविधा उपलब्ध करवाई जाये तथा जो वरिष्ठ अध्यापक अपने निवास स्थान पर जावें उन्हें स्वयं के खर्चे पर निवास से प्रशिक्षण स्थल पर आने–जाने की अनुमति दी जाये। किन्तु यह बिन्दु निष्पादक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है कि भविष्य में आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्यतः आवासीय रखा जावे अथवा गैर आवासीय रखा जावे।	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मूलतः गैर आवासीय ही रखा जावे किन्तु जो शिक्षक प्रशिक्षण स्थल पर रात्रिकाल में ठहरना चाहे उनके लिए आवास व भोजन व्यवस्था की जावे।
17	**प्रस्ताव सं. 17 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वंचित वर्गों को माध्यमिक शिक्षा हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाने (इक्विटी) हेतु राशि की मांग करना** वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गत वर्ष की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना में अनेक मदों में राशि की मांग की गई थी। किन्तु इन सभी मदों में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। इस स्थिति का मुख्य कारण यह था कि गत वर्ष	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.		निर्णय
	इक्विटी के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रस्तावों में बालक–बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दिये जाने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नकद राशि नहीं देती है। अतः इस वर्ष इक्विटी मद में अन्य के अलावा निम्न मदों में राशि की मांग किया जाना प्रस्तावित हैः– (i) राज्य के ईबीबी में निर्मित माध्यमिक शिक्षा के बालिका छात्रावासों में अध्ययन कर रही बालिकाओं हेतु सायंकालीन अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना। (ii) राज्य की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु ग्रीष्मावकाश में विशेष शिक्षण कैम्पों का आयोजन करना। उक्त कार्यक्रमों का प्रभाव पूरे राज्य में होना है अतः उक्तानुसार कार्यक्रमों हेतु इक्विटी मद में राशि की मांग करने की अनुमति हेतु प्रकरण निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	
18	**प्रस्ताव सं. 18 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु** **पूरक प्रस्ताव सं. 1 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सिविल शाखा हेतु पद वृद्धि करने के पूर्व के निर्णय को संशोधित करना –** दिनांक 24.02.11 को आयोजित निष्पादक समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परिषद में सिविल कार्य की अधिकता को देखते हुए तकनीकी पदों में निम्नानुसार वृद्धि का निर्णय लिया गया था –	यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

क्र. स.	पद का नाम अधीक्षण	उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप1) के पंत्राक 4.17(4) शिक्षा–1/जयपुर, दिनांक 31.08.09 के क्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रामाशिप) में सृजित पदों का संख्यात्मक विवरण			24.02.11 निष्पादक समिति की बैठक के निर्णयानुसार सिविल शाखा हेतु सृजित किये जाने वाले अतिरिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण			योग
		राज्य स्तर	जिला स्तर	कुल स्वीकृत	राज्य स्तर	संभाग स्तर	जिला स्तर	
1	अधीक्षण अभियन्ता	0	0	0	01	0	0	1
2	अधिशाषी अभियन्ता	01	0	01	01	7	0	8
3	कनिष्ठ अभियन्ता	2	33	35	0	0	50 (3 ब्लॉक पर 1)	50
4	लेखाकार	1	0	1	1	7	0	8
5	कनिष्ठ लिपिक	1	66	67	3	7	0	10
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर (एजेन्सी द्वारा)	8	0	8	4	7	0	11
7	सहायक कर्मचारी (एजेन्सी द्वारा)	10	99	109	1	7	33	41

उपरोक्त पदों का सृजन मॉडल स्कूल निर्माण कार्य के क्रम में किया गया था। किन्तु वर्तमान परिदृश्य में मॉडल स्कूल निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। अतः –

क्र. स.		चर्चा एवं निर्णय
	• संभाग स्तर पर किसी भी प्रकार के संस्थापन की आवश्यकता नहीं है। • जिला स्तर पर भी कनिष्ठ अभियन्ता (प्रति ब्लॉक 3) के पदों की आवश्यकता नहीं है। • जिला स्तर पर पहले से ही सहायक कर्मचारी के 3 पद स्वीकृत हैं। अतः जिला स्तर पर 33 (प्रति जिला 1) सहायक कर्मचारियों के पदों की आवश्यकता नहीं है। अतः दिनांक 24.02.11 की निष्पादक समिति के निर्णयानुसार निम्न पदों के सृजन को खारिज किया जाना उपयुक्त होगा।	

क्र.स.	पद का नाम	खारिज किये जाने योग्य पदों का विवरण		योग
		संभाग	जिला स्तर	
1	अधिशाषी अभियन्ता	7	0	7
2	कनिष्ठ अभियन्ता	0	50 (3 ब्लॉक पर 1)	50
3	लेखाकार	7	0	7
4	कनिष्ठ लिपिक	7	0	7
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर (एजेन्सी द्वारा)	7	0	7
6	सहायक कर्मचारी (एजेन्सी द्वारा)	7	33	40

उपरोक्तानुसार दिनांक 24.02.11 की निष्पादक समिति बैठक के अनुसार सृजित पदों को खारिज करने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त (मा.शि.)
राज्य परियोजना निदेशक
एवं सचिव, निष्पादक समिति
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

EC-दसवीं बैठक - Annexure-10

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूल प्रशासनिक भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
जी.एस.पी.सी. के सामने जयपुर 302017
दूरभाष : 0141 2709846 E- mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) रामाशिप्र / लेखा / 2011 / 2390 दिनांक : 28/7/11

कार्यालय आदेश

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् हेतु निष्पादक समिति की दिनांक 19.04.2010 की बैठक में बजट, वित्त एवं लेखा नियमावली (BF&AR) को अनुमोदित किया गया था। बजट,वित्त एवं लेखा नियमावली के पार्ट--1 के नियम 1(iv) के प्रावधानों के तहत श्रीमान् अध्यक्ष निष्पादक समिति (रामाशिप) एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित निष्पादन समिति की 9वीं बैठक दिनांक 07.07.2011 में प्रस्तावित बजट वित्त एवं लेखा नियमावली (BF&AR) में संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था इस कम में बजट वित्त एवं लेखा नियमावली (BF&AR) में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है :—

क्र.सं.	बी.एफ एण्ड ए.आर. में नियम का भाग, अध्याय व कम सं.	बी.एफ.एण्ड ए.आर. में वर्तमान नियम	बी.एफ.एण्ड ए.आर. में किये जाने वाले संशोधन के अनुसार. संशोधित नियम
1.	नियमावली के पृष्ठ सं. **20 of 62** में नियमावली के पार्ट–1 के **Chapter –III** के **Rule-28**	A Permanent Advance of Rs. 10,000/- will be given to OIC (Stores) at SPO and Rs. 5,000/- to OIC (Stores) at DPO who has to make payments of urgent nature frequently on training, seminar, workshop, mobilizing agency, building construction committee etc	**A Permanent Advance as imprest of Rs. 10,000/- will be maintained at cashier level at SPO and Rs. 2,000/- will be maintained at cashier level at DPO for office expenditures.** In addition if required Advance of Rs. 20,000/ - will be given to OIC (Concerned) at SPO and Rs. 5,000/- to OIC (Concerned) at DPO who has to make payments of urgent nature frequently on training, seminar, workshop, mobilizing agency, building Construction committee etc
2.	नियमावली के पृष्ठ सं. 38 **of** 62 में नियमावली के **Part-2Chapter** में **Rule 05** के बिन्दु सं. 4 में	Above all, whether the offer being accepted is the most appropriateone taking all relevant factors into account and in keeping with the principles of finance propriety as proved in **Rule 17** of these regulations.	Above all, whether the offer being accepted is the most appropriateone taking all relevant factors into account and in keeping with the principles of finance propriety as proved in **Rule 14** of these regulations.

D:\Goswami ji\Hindi Letters1.doc

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

[illegible] 302017

[illegible] 0141 2709846 E- mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक : एफ ( ) रामाशिप्र / लेखा / 2011 / दिनांक :

3.	नियमावली के पृष्ठ सं. 41 of 62 में नियमावली के पार्ट–2 के **Chapter –I** के **Rule-14** बिन्दु सं. 3 में	(3) For items above the value of Rs. 50,000/- for the requirement of District Project Offices, the tenders will be called by District Project Office. The tender will be evaluated by District evaluation Committee and orders will be placed after approval of District Collector Cum Chairman of District Executive Council, RCSE. The District office will receive the goods, certify that they are as per specification and then the payment will be made by District Office.	(3) (a) For items above the value of Rs. 50,000/- **upto Rs. 10 lacs** for the requirement of District Project Offices, **the** tenders will be called **by** District Project Office. **The** tender will be evaluated **by** District evaluation Committee and orders will be placed after approval of District Collector Cum Chairman of District Executive Council, RCSE. The District office will receive the goods, certify that they are as per specification and then the payment will be made by District Office. (3) (b) For item **above the value of Rs. 10 lacs**, for the requirement of District Project Offices, the tenders will be called by District Project Office thereafter orders will be placed after evaluation and approval from committee constituted accordance to rule 14 (8) with approval of E.C.
4.	नियमावली के पृष्ठ सं. 41 of 62 में नियमावली के पार्ट–2 के **Chapter –I** के **Rule-14** बिन्दू संख्या (4) में	All purchases and evaluation below the value of Rs. 50,000/- for the requirements of District Project Office will be done by District Evaluation Committee after the prior approval of District Collector.	All purchases and evaluation below the value of Rs. 50,000/- for the requirements of District Project Office will be done by District Evaluation Committee.
5.	नियमावली के पृष्ठ सं. 42 of 62 में नियमावली के पार्ट–2 के **Chapter –I** के **Rule-15** में	For purchase of stores valued less then **Rs. 30,000/-** recommendations of the purchase committee shall not be necessary.	For purchase of stores valued less then **Rs. 3,000/-** recommendations of the purchase committee shall not be necessary.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, प्रशासनिक भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
बीसलपुर कॉलोनी के सामने, जयपुर - 302017
दूरभाष : 0141 2709846, E- mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक : एफ ( ) रामाशिप्र / लेखा / 2011 / दिनांक :

6.	नियमावली के पृष्ठ सं. 44 of 62 में नियमावली के पार्ट–2 के **Chapter –I** के **Rule-21** में	Negotiation with the successful firm emerged during the tender process may be done committee / SPD found it useful to have negotiation with the firm to reduce the rate or to ascertain the quality of work / goods.	Negotiation with **the lowest successful bidder only** emerged during the tender process may be **done** if committee / SPD **found** it useful to have negotiation with the firm to reduce the rate or to ascertain the quality of work / goods.

सभी संबंधित को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही बजट, वित्त एवं लेखा नियमावली (BF&AR) का उपयोग किया जावें।

उक्त संशोधन आदेश जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आयुक्त (मा0शि0)
एवं राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।
दिनांक :–

क्रमांकः एफ ( ) रामाशिप्र / लेखा / 2011 /

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, रामाशिप, जयपुर।
3. उप निदेशक (मा0शि0) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
4. जिला परियोजना समन्वयक(आरएमएसए), समस्त।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक(आरएमएसए),समस्त।
6. सहायक लेखाधिकारी (आरएमएसए) समस्त।
7. लेखा शाखा रामाशिप, जयपुर।
8. कार्यालय पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

EC - दसवीं बैठक - Annexure - 1C

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः पत्र 1(7)शिक्षा–1/2008 पार्ट I जयपुर, दिनांकः

आयुक्त (मा.शि.),
एवं राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय :– शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत निर्मित/ संचालित बालिका छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश संम्बधी दिशा–निर्देशो में आशिक संशोधन बाबत।

संन्दर्भ :– आपकी कार्यालय टिप्पणी दिनांक 07.07.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.06.2010 के द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत निर्मित/संचालित बालिका छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश संम्बधी जारी दिशा–निर्देशों में संन्दर्भित कार्यालय टिप्पणी के कम में निर्देशानुसार प्रथम वरीयता में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं :–

"प्रथम वरीयताः– संबंधित ब्लॉक की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने उसी ब्लॉक में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/छात्रावास से कक्षा 8 पास की हैं तथा कक्षा 9 में अध्ययन नियमित रखना चाहती हैं। तदोपरान्त संबंधित जिले के अन्य ब्लॉक्स में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 पास करने के उपरान्त उसी ब्लॉक में स्थित किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।"

भवदीय

उप शासन सचिव प्रथम

कार्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
जिला शिक्षा अधिकारी माध्य प्रथम एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (समस्त जिले) एवं
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समस्त जिले)
को राज्य सरकार से प्राप्त मूल कार्यालय टिप्पणी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान
जयपुर

D:\MALU RAM MEENA\Taneja\17\2008.doc

EC - दसवी बैठक - Annexure-I

दैनिक भास्कर - 21/06/2011

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक –6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग ,ओटीएस पुलिया के सामने,
जयपुर–302017, दूरभाष: 0141–2709846, E-mail:spdrmsaraj@gamil.com

क्रमांकःरामाशिप/जय/वि.वा.अ./2011/2611 दिनांकः 20.06.2011

विज्ञप्ति

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें / साहित्य उपलब्ध कराए जाने हेतु पुस्तकें क्रय करने के निमित्त प्रतिष्ठित प्रकाशकों से उनके प्रकाशनों की सम्पल प्रति निमूल्य आमंत्रित की जाती हैं। पुस्तकें माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रूचि जाग्रत करने, नियमित अध्ययन का विकास करने एवं भविष्य की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त होनी चाहिये।

नियम एवं शर्तें:–

1. विज्ञापन वर्ष से दो वर्ष पूर्व यानि 2009 से पहले प्रकाशित प्रकाशन प्रस्तुत नहीं किए जावें।
2. संस्करण, वर्ष, मूल्य मूलतः पुस्तक भाग के अन्दर के पृष्ठ पर मुद्रित होने चाहिये।
3. प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति निशुल्क जमा कराई जानी होगी।
4. प्रत्येक पुस्तक में आई.एस.बी.एन नम्बर का उल्लेख होना चाहिये। इसके अभाव में सामान्यतः चयन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. पुरानी पुस्तकों को नया नाम देकर या प्रकाशन मूल्य परिवर्तित कर प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों का चयन नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की पुस्तकें लगातार दो वर्षों तक यदि किसी प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो, वह प्रकाशक ब्लेक लिस्ट कर दिया जायेगा।
6. पुस्तक / पुस्तकें प्रकाशक द्वारा अपने अग्रप्रेषण पत्र एवं पुस्तकों के साथ कम्प्यूटर सी.डी. (Excel Sheet) में निम्न प्रारूपानुरूप में Times New Roman, Size-12 में अंग्रेजी एवं देवलिपि 010, साइज 14 में हिन्दी में निर्मित कर प्रेषित की जायें।

क्र. स.	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक / लेखक नाम व संपूर्ण पता	संस्करण वर्ष	मूल्य	पृष्ठ संख्या	आई. एस.बी. एन.नम्बर	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. प्रकाशक गत वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रेषित करें। प्रमाण–पत्र के बिना पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी। आर.एस.टी. / सी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किये जायें। प्रकाशक अपनी संस्था का पेन कार्ड नम्बर भी अनिवार्य रूप से अंकित करेगा।
8. ऐसे लेखक / प्रकाशक जो अपने अधिकृत अभिकर्त्ता (एजेन्ट) अथवा स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से पुस्तक आपूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें प्रस्तुतीकरण के साथ अपने अभिकर्त्ता / प्रतिनिधि के नाम अधिकृत पत्र पुस्तक आपूर्ति व बिल इत्यादि भिजवाने का स्पष्ट सहमति पत्र परिषद् को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. प्रेषित की गई पुस्तकें वापस नहीं की जाएगीं तथा चयनित पुस्तकों का प्रदाय प्रस्तुतीकरण में प्राप्त नमूने की प्रति के अनुरूप ही करना होगा।
10. पुस्तक हेतु पुस्तक मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत डिस्काउंट का उल्लेख अवश्य किया जावें।
11. पुस्तक का टाइटल पेज पुस्तक के साथ मूलतः लगा होना चाहिये। पुराना फाड़कर नया शीर्षक (टाईटल) लगाने पर पुस्तक चयन पर विचार नहीं होगा।
12. क्रयादेश में वर्णित निर्धारित अवधि में यदि कोई प्रकाशक क्रयादेश के अनुसार पूर्ण या उसके किसी भाग की पालना करने में असफल रहता है तो प्रकाशक से नियमानुसार परिनिर्धारित नुकसान (लिक्विडिटी डैमेज) वसूल किया जावेगा।
13. पुस्तकें अच्छी क्वालिटी के कागज पर होनी चाहिये तथा यह आकर्षक तरीके से चित्रित एवं उत्पादित होनी चाहिये।
14. किसी भी संख्या में टाईटल प्रस्तुत किए जा सकते है लेकिन प्रकाशकों को सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार केवल क्वालिटी पुस्तकें जमा कराई जावें।
15. विख्यात एवं जाने माने लेखकों की पुस्तकों को वरीयता दी जायेगी। पुस्तक चयन में ज्ञानात्मक व प्रबोधात्मक साहित्य प्रमुख आधार होगा।
16. विभाग न्यूनतम मूल्य वाली पुस्तकें क्रय करने हेतु बाध्य नहीं होगा। किसी भी पुस्तक को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक को होगा।
17. प्रकाशक को अपना प्रस्तुतिकरण बिन्दु स. 6 में उल्लेखित प्रपत्र के माध्यम से ही प्रेषित करना होगा अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा।
18. जमा कराई गई पुस्तकों का मूल्यांकन एवं चयन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं इन्हें अनुमोदन के लिए सूचीबद्ध किया जावेगा। यह सूची सत्र 2010–11 एवं 2011–12 हेतु मान्य होगी।
19. राज्य स्तरीय समिति द्वारा सूचीबद्ध पुस्तकों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) प्रथम के मार्फत उनके अधिनस्थ माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।
20. पुस्तकों का क्रय आदेश आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सूची में से चयन कर संबंधित शाला प्रधानाध्यापक, प्रकाशक के नाम जारी करेगा।
21. प्रकाशकों को क्रय आदेशानुसार आपूर्ती की जाने वाली पुस्तकों पर डिस्काउन्ट के पश्चात् शेष भुगतान योग्य राशि का 5 प्रतिशत हेण्डलिंग चार्ज के रूप में ड्राफ्ट, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप के नाम बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित करना होगा। बिना हेण्डलिंग चार्ज के आपूर्ति की गई पुस्तकों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. किसी भी प्रकार का विवाद, जयपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

पुस्तकें दिनांक 22.7.2011 तक आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक नं. 6, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर, राजस्थान के पते पर प्राप्त हो जानी चाहिये। पुस्तकें कार्यालय में 11 जुलाई 2011 से 22.7.2011 की अवधि में स्वीकार की जावेगी। इस अवधि से पहले व बाद में प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त (मा०शि०)
एवं राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

दैनिक भास्कर 21/06/2011

EC - दसवां बंध - Annexure-2

संशोधित विज्ञप्ति - 23.06.2011
दैनिक - भास्कर समाचार पत्र

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक –6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017, दूरभाष 0141-2709846, E-mail:spdrmsaraj@gamil.com

क्रमांकः रामाशिप/जय/वि.वा.अ./2621 दिनांकः 22.06.2011

संशोधित विज्ञप्ति भास्कर 23.06.11

कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांकः रामाशिप/जय/वि.वा.अ./2011/2611 दिनांक 20.06.2011 जो पुस्तक चयन से संबंधित है के बिन्दु संख्या 10 में 30 प्रतिशत डिस्काउण्ट के स्थान पर 35 प्रतिशत डिस्काउण्ट पढ़ा जावे। अन्यं नियम व शर्तें पूर्व विज्ञप्ति में दर्शाए अनुसार यथावत रहेगी।

आयुक्त (मा. शिक्षा)
एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

संशोधित विज्ञप्ति - 23.06.2011
राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक –6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017, दूरभाष 0141-2709846, E-mail:spdrmsaraj@gamil.com

क्रमांकः रामाशिप/जय/वि.वा.अ./2621 राजस्थान पत्रिका दिनांक 22.06.2011

संशोधित विज्ञप्ति 23.06.2011

कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांकः रामाशिप/जय/वि.वा.अ./2011/2611 दिनांक 20.06.2011 जो पुस्तक चयन से संबंधित है के बिन्दु संख्या 10 में 30 प्रतिशत डिस्काउण्ट के स्थान पर 35 प्रतिशत डिस्काउण्ट पढ़ा जावे। अन्य नियम व शर्तें पूर्व विज्ञप्ति में दर्शाए अनुसार यथावत रहेगी।

आयुक्त (मा. शिक्षा)
एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

EC-दसवीं बैठक- Annexure-2

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com.

क्रमांक:रामाशिप / जय / वि.वा.अनुदान / दिनांक: 27.06.2011
28

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें / साहित्य उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर आमंत्रित पुस्तक सम्मिशन उपरान्त प्राप्त पुस्तकों की समीक्षा एवं चयन करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राज. माध्यमिक शिक्षा परिषद् – अध्यक्ष
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य,
3. उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर – सदस्य
4. सहायक निदेशक, योजना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् – सदस्य
5. दो शिक्षाविद्– अध्यक्ष निष्पादक समिति स्तर से मनोनीत सदस्य – सदस्य
6. भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का एक प्रतिनिधि – सदस्य
7. सहायक निदेशक (विद्यालय वार्षिक अनुदान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् – सदस्य सचिव

उक्त समिति सम्मिशन प्राप्त होने की अंतिम तारीख समाप्त होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर प्राप्त पुस्तकों की विषय–वस्तु का भली–भाँति अध्ययन कर उपयुक्त पुस्तकों को सूचीबद्ध करेगी एवं चयनित पुस्तकों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

Sd
आयुक्त (मा.शि.)
एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

क्रमांक:रामाशिप / जय / वि.वा.अनुदान / 2652 दिनांक: 27.06.2011
28

प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राज. माध्यमिक शिक्षा परिषद्
2. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
4. उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
5. सहायक निदेशक, योजना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
6. सहायक निदेशक (विद्यालय वार्षिक अनुदान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

आयुक्त (मा.शि.)
एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

EC-दसवीं बैठक - Annexure-3 A

(70)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/बा.छा.12093 दिनांकः 13.03.2011 14.3.11

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– **बालिका छात्रावास में सहायिका (वार्डन सहायिका) का पद अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत करने बाबत्।**

प्रसंगः– **दिनांक 24/02/2011 को रा.मा.शि.प. की निष्पादन समिति की 7वीं बैठक के बिन्दु संख्या 11 के सम्बन्ध में की गयी चर्चा।**

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि बालिका छात्रावास में केवल वार्डन लगाये जाने का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। वार्डन सहायिका लगाये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वार्डन को छात्रावास संचालन व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना होता है, साथ ही विद्यालय में अध्यापन कार्य भी करना होता है। अनेक अवसरों पर वार्डन छात्रावास से बाहर अन्य कार्यों हेतु प्रस्थान करती है अथवा अवकाश पर रहती है।

किशोर वर्ग की बालिकाओं की प्रायः अनेक **व्यक्तिगत समस्याएं** भी होती है जिनका सामना अकेले वार्डन को करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में वार्डन के साथ यदि सहयोगी होगी तो विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सकता है। बालिका छात्रावासों के संचालन में **लिपिक/स्टोर कीपर का भी प्रावधान नहीं है** ऐसी स्थिति में सहयोगी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **वार्डन की अनुपस्थिति में सहयोगी** जहां छात्रावास व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगी वही वार्डन भी स्वयं को अधिक सशक्त महसूस कर सकेगी जिससे हमें बालिका छात्रावास संचालन में आशातीत परिणाम मिल सकेगें।

इस सम्बन्ध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपनी 7वीं निष्पादन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया है जो निम्न प्रकार हैः–

"बिन्दु संख्या 11 के अनुसार बालिका छात्रावास संचालन व्यवस्था देखने के लिए छात्रावास वार्डन के रूप में अनुबन्ध के आधार पर वार्डन सहायिका का पद स्वीकृत करनें व राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन करने हेतु प्रकरण बनाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।"

अतः बालिका छात्रावास में वार्डन के सहयोग एवं उसकी अनुपस्थिति में छात्रावास की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु किसी स्थानीय महिला को पूर्णकालिक छात्रावास परिसर आवास में सहायिका के रूप में रहने की शर्त पर एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर दैनिक न्यूनतम मजूदरी 135/– रुपये प्रति दिन मानदेय के आधार लगभग 4000/– रुपये मासिक मानदेय पर लगाये जाने की स्वीकृति एवं बजट प्रावधान राज्य सरकार के स्तर पर कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

आयुक्त (मा.शिक्षा)
एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

EC-दसवीं बैठक-Annexure-3B

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

(84)

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/फा–बा.छा./ 2384 दिनांक: 25.07.2011
27.7.2011

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:– बालिका छात्रावास में वार्डन सहायिका के 186 पद अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत करने बाबत्।

प्रसंग:– दिनांक 07/07/2011 को रा.मा.शि.प. की निष्पादन समिति की 9वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 11.1 के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि बालिका छात्रावास में नियमित अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से वार्डन का कार्य करने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। वार्डन के अतिरिक्त किसी भी पद यथा लिपिक/स्टोर कीपर/लेखा कार्मिक, सहायिका आदि लगाये जाने का कोई प्रावधान बालिका छात्रावास की योजना में शामिल नहीं किया गया है। अनेक अवसरों पर वार्डन, छात्रावास से बाहर अन्य कार्यों हेतु प्रस्थान करती है अथवा अवकाश पर या बीमारी की अवस्था में भी छात्रावास से बाहर रहती है।

किशोर वर्ग की बालिकाओं की प्रायः अनेक **व्यक्तिगत समस्याएं** भी होती है, जिनका सामना अकेले वार्डन को करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में वार्डन के साथ सहयोगी की आवश्यकता होगी, जिससे विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में पूर्व में भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पत्रांक 2093 दिनांक 13/03/2011 के माध्यम से राज्य सरकार को वार्डन सहायिका के पद सृजन हेतु अनुरोध किया गया है।

RCSE, Jaipur की निष्पादक समिति की 9वीं बैठक दिनांक 07/07/2011 में पुनः प्रस्ताव संख्या 11.1 के द्वारा निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है:–

"वार्डन सहायिका की सेवायें लेने के स्थान पर वित्त विभाग के दिनांक 17/06/2011 के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करते हुए पहले सेवाओं का चिन्हीकरण किया। इसके पश्चात् ही एजेन्सियों के माध्यम से इन सेवाओं की प्राप्ति की जावे। इसके साथ ही सामानांतर कार्यवाही के रूप में वार्डन सहायिका का पद स्वीकृत कराने हेतु वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भिजवाया जावे।"

वार्डन सहायिका की उपस्थिति जहां छात्रावास व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगी वही वार्डन भी स्वयं को अधिक सशक्त महसूस कर सकेगी, एवंम् बालिका छात्रावास संचालन अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित व निर्विघ्न हो सकेगा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है, कि वार्डन के विद्यालय जाने के उपरान्त यदि किसी छात्रा की तबीयत बिगड़ जाती है अथवा अन्य कठिन अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में छात्रावास संचालन गड़बड़ा सकता है तथा इससे प्रतिकूल परिणाम आ सकते है, तथा राज्य सरकार के लिए चिन्ता व कठिनाई का कारण बन सकता है।

अतः बालिका छात्रावास में वार्डन के सहयोग एवं उसकी अनुपस्थिति में छात्रावास की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 9वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार किसी स्थानीय महिला को पूर्णकालिक छात्रावास परिसर आवास में सहायिका के रूप में रहने की शर्त पर एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी 135/– रुपये प्रति दिन मानदेय के आधार लगभग 4000/– रुपये मासिक मानदेय पर लगाये जाने की स्वीकृति एवं 186 पदों का सृजन एवं बजट प्रावधान राज्य सरकार के स्तर पर कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

आयुक्त (मा.शिक्षा)
एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

O/c

E(- 4सा। 8&8 - Annexure-5

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राज्य के जिलों में कार्यरत पद स्थापित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची:-

क्र. सं.	जिला	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता
1	अजमेर	श्री इन्दर चन्द खण्डेलवाल	
2	अलवर	श्री पारस मल जैन	श्री राजेश कुमार गुप्ता (प्रस्तावित)
3	बासवाड़ा		
4	बारां		
5	बाडमेर		श्री कल्याण सिंह सिंदप
6	भरतपुर	श्री चन्द्रवीर सिंह	
7	भीलवाड़ा		
8	बीकानेर		
9	बून्दी		
10	चित्तौडगढ़		श्री राजेश कुमार शर्मा
11	चूरू		
12	दौसा	श्री पारस मल नवल (मुख्यालय जयपुर)	श्री कमलेश कुमार अग्रवाल
13	धोलपुर		
14	डूंगरपुर		
15	हनुमानगढ़		
16	जयपुर	श्री रीछपाल सिंह	श्री हेमचन्द यादव. (संतोष कुमार गुप्ता मुख्यालय)
17	जैसलमेर		श्री एहसान मोहम्मद खॉन
18	जालोर		
19	झालावाड़		
20	झुन्झुनू	श्री प्रहलाद सिंह	श्री राजेन्द्र कुमार पारीक
21	जोधपुर	श्री रामनिवास मारूंका	
22	करौली		
23	कोटा	श्रवण कुमार (प्रस्तावित)	
24	नागौर		श्री राजेन्द्र सिहाग
25	पाली		श्री प्रदीप छंगाणी
26	प्रतापगढ़		
27	राजसमन्द		
28	सवाई माधोपुर	श्री अरूण शर्मा	
29	सीकर	श्री राजेन्द्र प्रसाद	
30	सिरोही		श्री गोविन्द लाल मीणा
31	श्रीगंगानगर		
32	टोंक	श्री के0सी0 शर्मा (मुख्या. जयपुर एवं अतिरिक्त प्रभार)	
33	उदयपुर		

EC - दसवीं बैठक - Annexure 6

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
1	Prescribe/Specify activities chargeable to QC/Contingencies.					Full Powers		Activities should br related to works.
2	Incurre/Sanction expenditure against contingencies and QC	2.5% of Contingency /QC Provisions.	2.5% of Contingency /QC Provisions.	2.5% of Contingency /QC Provisions.	2.5% of Contingency /QC Provisions.	90% of Contingency /QC Provisions.		Expenditure upto Rs 3000 at a time can be incurred in Cash.
3	Incure/Sanction expenditure against savings.					Full Powers		Within School for School Level or RMSA Works and Within Scheme for Girls Hostel and Model Schools.
4	Administartive Sanction						Full Powers	On receipt of Approval from GOI.
5	Technical sanction of estimates		Full Powers for Major and Minor Repairs.		Upto Rs 30.00 Lacs for each work.	Full Powers		On receipt of Administrative Sanction.
6	Financial Sanction						Full Powers	On receipt of 1st installment from GOI

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
7	Floatation /Publication of tenders			Full Powers with respect to Major and Minor repair works.	Full powers with respect to Works other than Major and Minor Repair Works	Full powers with respect to RCSE, Head Quarter Level Works		On DIPR/DAVP Rates
8	Approval/Rejection of tenders	Upto BSR Rates for School Level or RMSA Works.			Upto BSR Rates for Works (Other Than School Level or RMSA Works and RCSE, Head Quarter Level Works) like Girls Hostel and Model Schools for works costing upto Rs 30.00 lacs..	Full powers for RCSE Head Quarter Level Works and works costing upto Rs 30.00 Lacs..	Full Powers for works costing more than Rs 30.00 Lacs.	On the basis of rates prevailing in major engineering departments of the district.

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
9	Approve/Reject Single Tender				Full Powers Upto BSR Rates for School Level or RMSA Works.	Full Powers Upto BSR Rates for Works (Other Than School Level or RMSA Works) like Girls Hostel and Model etc.	Full Powers	On the basis of rates prevailing in major engineering departments of the district.
10	Conduction of Negotiation	Full powers with respect to tenders received by SDMC & Within competency to sanction tenders.			Full powers with respect to tenders received & Within competency to sanction tenders.	Full powers with respect to tenders received & Within competency to sanction tenders.	Full powers with respect to tenders received & Within competency to sanction tenders.	Negotiation can only be conducted only by tender receiving and tender approving authority with lowest tender only.
11	Conduction of Counter Offer	Full powers with respect to tenders to be approved by SDMC on recommendation of SDMC.			Full powers within competency to approve/reject tender.	Full powers within competency to approve/reject tender.	Full powers within competency to approve/reject tender.	Counter Offer Can Only be issued by Tender Approving Authority.
12	Extension of valadity of tenders						Full Powers	Powers of Origional Valadity of 90 days shall rest with corresponding tenders sanctioning authorities.

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
13	Prescribe Special Conditions of Contract					Full powers		Conditions should not result in financial loss to govt.
14	Sign Agreement, Issue Work/Supply Order and Execute Agreement	Full Powers in respect of school level or RMSA works		Full Powers in respect of works (other than school level and RCSE Head Quarter Level Works)		Full powers with respect to RCSE, Head Quarter Level Works		Power to be exercised in consultation with Accounts Wing.
15	Sanctioniong of Extra/Excess items				2% of Schedule-G Amount.	Full Powers		Against savings of same work in such a manner that overall expenditure should not exceed Financial Sanction.
16	Issue Provisional Time Extensions	Upto 25 % of the Origional Period as per agreement.		Upto 25 % of Origional Time Period Specified in Agreement.				For additional provisional extensions approval of EE (Zone) required at least 30 days in advance.

EC- दसवीं बैठक -Annexure-7

राजस्थान सरकार

कार्यालय मंत्री

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार विभाग

क्रमांकः विस/मं./शिक्षा/श्रनि/2011/1263 जयपुर, दिनांकः 27/4/2011

आयुक्त,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
शिक्षा संकुल, जयपुर।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्यो को बी0एस0आर0 दर के अनुरूप ही कराये जायें, इससे ऊपर की दरों पर कराये जाने वाले कार्यो के लिये राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात् ही करायें जाये ।

(मा0 भँवरलाल मेघवाल)
मंत्री
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा,
श्रम एवं नियोजन विभाग

EC - दसवीं बैठक - Annexure - 7B

कार्यालय टिप्पणी
NOTE SHEET

F-22099/TW

1- माननीय मंत्री महोदय, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं नियोजन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्राक विस/मं./शिक्षा/श्रनि/2011/1263 जयपुर दिनांक 27.04.2011 (पत्रांवली पृष्ठ संख्या–1/सी) के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वी.एस.आर. से ऊपर की दरों पर कराये जाने वाले कार्य के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के निर्देश दिये थे।

2- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में 951 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा वर्ष 2011–2012 में 2392 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। इन कार्यों में से अधिकतर कार्यों की स्वीकृत राशि रु. 40.00 लाख से भी कम है तथा लगभग दो तिहाई से अधिक निर्माण कार्यों में दर वी.एस.आर. से अधिक आने की सम्भावना है। राज्य स्तर पर प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या काफी अधिक होने के कारण स्वीकृति में काफी समय लगने एवं कार्य काफी बिलम्ब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

3- माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.07.2011 को विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान निर्देशित किया गया कि कार्य की संख्या काफी अधिक होने एवं उनकी स्वीकृत राशि काफी कम होने के कारण वी.एस.आर. से अधिक दर प्राप्त टेण्डरों को स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना उचित एवं व्यवहारिक नहीं है।

4- अतः निष्पादक समिति द्वारा तय अभियात्रिकी कार्यों की शिडयूल ऑफ पांवर के अनुसार ही टेण्डर स्वीकृत करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार प्राप्त टेण्डरों की स्वीकृति हेतु निम्न व्यवस्था है। (पत्रांवली पृष्ठ संख्या 4/सी)

क्र. सं.	अध्यक्ष एस. डी. एम.सी. /संस्था प्रधान की शक्तियां	सम्भाग स्तरीय अधिशाषी अभियन्ता की शक्तियां	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वरिष्ठतम अभियन्ता की शक्तियां	राज्य परियोजना निदेशक की शक्तियां	विशेष विवरण
1.	वी. एस. आर. दरों तक (आर. एम.एस.ए. कार्यों हेतु)	वी. एस. आर. से 10 प्रतिशत अधिक तक एवं रु. 30.00 लाख तक के कार्यों हेतु (आर.एम.एस.ए. एवं परिषद मुख्यालय कार्यो के अतिरिक्त)	रु. 30.00 लाख तक (परिषद् मुख्यालय एवं अन्य कार्यों हेतु) पूर्ण शक्तियां	रु. 30.00 लाख से अधिक के कार्यों हेतु पूर्ण शक्यां	प्रमुख अभियात्रिकी विभागों में प्रचलित दरों के आधार पर

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
17	Sanction Final Time Extensions				Full Powers with compensation with respect to works costing upto Rs 30.00 Lacs.	Full Powers with compensation.	Full Powers without Compensation	Compensation should be imposed in such a manneer that it does not result in claim of price escalation.
18	Sanction Payment of Price Escalation						Full Powers	With Approval of EC.
19	Issuance of completion Certificates		Full Powers for Major and Minor Repair Works		Full Powers for works costing upto Rs 30.00 Lacs.	Full Powers		Final Bill Can Only be paid after receiving Completion Certificate.
20	Sanction Non BSR items.					Full Powers		On the basis of lowest current market rates.Certificate of AEN for lowest market rate required.
21	Termination /Recession of contract under clause 2 & 3.	Full Powers in respect of school level or RMSA Works.		in respect of works (other than School Level or RMSA Works) like Girls Hostel,				After Approval from EE (Zonal)

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE

S No	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	EE (Zonal)	Senior Most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
22	Withdrawl of contract under clause-32	Full powers		Full powers				For works costing upto Rs 30.00 lacs approval of EE (Zonal is required) and for Works costing more than Rs 30.00 lacs prior approval of Senior Most Engineer of RCSE is required.
23	According Sanction for execution of remaing/leftup work to any registered contracor without calling tenders on origional rates after termination of contract under clause 2&3 or 32.				Full Powers for works costing Upto Rs 30.00 Lacs.	Full powers		Detailed Justification is to be given for exercising powers within specific clause.
	SPECIAL NOTES-Powers having financial implications shall be excecised in consultation with Senior Most Accounts employee of the Accounts Wing.							
2-	Till posting of EE (Zonal), powers of EE (Zonal) shall be exercised by EE (HQ).							

EC - दसवीं बैठक - Annexure-9A

परियोजना में स्वीकृत एंव रिक्त पदों का विवरण (सर्व शिक्षा अभियान)

1. परिषद मुख्यालय पर स्वीकृत,कार्यरत एंव रिक्त पदों का विवरण

क.स	पद का नाम	नियुक्ति का प्रकार	विशेष विवरण
1	आयुक्त	प्रतिनियुक्ति	आई0ए0एस0
2	अतिरिक्त आयुक्त	प्रतिनियुक्ति	आर0ए0एस0
3	उपायुक्त	प्रतिनियुक्ति	आर0ए0एस0
4	संयुक्त निदेशक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा उप निदेशक
5	नियत्रंक वित्त	प्रतिनियुक्ति	लेखा सेवा
6	मुख्य अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति	–
7	उप निदेशक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा प्रधानाचार्य समकक्ष
8	व0प्र0समन्वयक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा प्रधानाचार्य समकक्ष
9	सहायक निदेशक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा व्याख्याता समकक्ष
10	प्रशिक्षण समन्वयक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा व्याख्याता समकक्ष
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	लेखा सेवा
12	सहायक निदेशक सांख्यिकी	प्रतिनियुक्ति	सांख्यिकी सेवा
13	सहायक अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति	सिचाई विभाग
14	प्रशासनिक अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा व्याख्याता समकक्ष
15	लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	लेखा सेवा
16	प्रशासनिक सहायक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा
17	ड्राफट मैन	प्रतिनियुक्ति	–
18	पुस्तकायालयध्यक्ष	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा
19	स्टोर कीपर	प्रतिनियुक्ति	मंत्रालयिक सेवा
20	कैशियर	प्रतिनियुक्ति	मंत्रालयिक सेवा
21	लिपिक	प्रतिनियुक्ति	मंत्रालयिक सेवा
22	निजी सचिव	प्रतिनियुक्ति	मंत्रालयिक सेवा
23	निजी सहायक	प्रतिनियुक्ति	मंत्रालयिक सेवा
24	सहायक विधि परामर्शी	प्रतिनियुक्ति	विधि सेवा
25	मॉनीटरिंग सहायक	प्रतिनियुक्ति	सांख्यिकी सेवा
26	लेखाकार आडिट	प्रतिनियुक्ति	लेखा सेवा
27	समन्वयक	प्रतिनियुक्ति	शिक्षा सेवा
	योग – अ (प्रतिनियुक्ति)		
28	एम.आई.एस.प्रभारी	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
29	सलाहकार	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
30	आई.ई.डी. समन्वयक	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
31	स्टोनो कम कम्प्यूटर आपरेटर	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
32	कार्यालय सहायक कम स्टेनो	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
33	ड्राईवर	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
34	सहायक	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक
35	प्रोग्रामर	संविदा	प्लेसमेन्ट कार्मिक

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ॰एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2705498, 5110377 फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांक : राप्राशिप / जय / संस्था / ई–9 / 2011–12 दिनांक :

विज्ञप्ति

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के अधीन उपनिदेशक / वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक एवं सहायक निदेशक के पद हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों का पैनल तैयार करने हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू नीचे अंकित तालिका के अनुसार निर्धारित तिथि को आयोजित किये जावेगे:–

तालिका

पद का नाम	साक्षात्कार दिनांक	पद हेतु धारित योग्यता
1	2	3
उपनिदेशक / वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक	04.11.2011 (शुक्रवार)	◆ राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जो प्रधानाचार्य सीनियर सैकेण्डरी स्कूल एवं समकक्ष पद पर कार्यरत है। प्रधानाचार्य पद पर 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव एवं आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं हो। (परीविक्षण / पैडागौजी / सम्बलन / शोध / डॉक्यूमेन्टेशन आदि क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जावेगी)
सहायक निदेशक		◆ राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जो व्याख्याता राउमावि / प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव एवं आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं हो वाले राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारी। ◆ परिवीक्षण / पैडागोजी / सम्बलन / शोध / डॉक्यूमेनटेशन आदि क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जावेगी।

वॉक इन इन्टरव्यू स्थल :– **राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 5, द्वितीय तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।**

आवश्यक निर्देश :–

1. वॉक–इन–इन्टरव्यू में आशार्थी अपनी योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यों से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक–प्रमाणित फोटो प्रति साथ लेकर आएगें।
2. वेतन एवं भत्ते चयनित आशार्थियों को उनके पातेय वेतन श्रृंखला पर ही देय होगे।
3. आवेदक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दंण्डित नहीं किया गया हो तथा न ही उसके विरूद्व उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जॉच लम्बित हो इस आशय का प्रमाण पत्र वॉक–इन– इन्टरव्यू के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. आवेदक को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि गत 7 वर्षों के सेवाकाल में उसके वार्षिक कार्य मूल्यॉकन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

5. चयनित आशार्थियों का योग्यता के क्रम में एक पैनल तैयार किया जायेगा जो वॉक–इन–इन्टरव्यू की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
6. आशार्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाने पर, उसका वॉक–इन–इन्टरव्यू या चयन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. वॉक–इन–इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सभी आशार्थियों को निर्धारित तिथि को प्रातः 11.00 बजे तक अपना पंजीयन करवाना आवश्यक होगा।
8. उपनिदेशक के पद हेतु आशार्थी की आयु 30.11.2011 को 55 वर्ष एवं सहायक निदेशक के पद हेतु आशार्थी की आयु 30.11.2011 को 50 वर्ष से अधिक होने वाले आशार्थी पद के पात्र नहीं होगे।
9. वॉक–इन–इन्टरव्यू से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का परिक्षेत्र जयपुर शहर का न्यायालय होगा।
10. वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु उपस्थित होने वाले आशार्थियों को किसी प्रकार का यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
11. वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु उपस्थित होने वाले आशार्थियों का किसी कारणवश निश्चित तिथि को साक्षात्कार न होने पर उनका वॉक–इन–इन्टरव्यू अगले दिन प्रातः 10.00 बजे लिया जाएगा।
12. इस पद की रिक्तियों की संख्या में कमी/वृद्वि करने का अधिकार, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर में सुरक्षित रहेगा।

दूरभाष 0141–2705498
फैक्स 0141–2701822

आयुक्त

EC-दसवां बैठक - Annexure-I (1)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.17(4)शिक्षा–1/2008 जयपुर, दिनांकः 31/08/09

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राज0
बीकानेर।

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की है :–

राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापना हेतु

क्र.सं.	पदनाम व वेतनमान	पदों की संख्या	RMSA में पद	वित्त विभाग की टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	स्टेट मिशन डायरेक्टर IAS	01	स्टेट मिशन डायरेक्टर	प्रतिनियुक्ति
2	अतिरिक्त निदेशक	01	अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन	प्रतिनियुक्ति से RAS अधिकारी
3	उप निदेशक, शिक्षा	02	1–पेडागोजी 1–प्रशासन	प्रतिनियुक्ति
4	सहायक निदेशक समकक्ष प्रधानाचार्य	02	सहायक निदेशक	प्रतिनियुक्ति
5	प्रधानाध्यापक/व्याख्याता	05	कार्यक्रम अधिकारी	प्रतिनियुक्ति
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	वरिष्ठ लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति
7	सहायक लेखाधिकारी	01	सहायक लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति
8	अधिशाषी अभियन्ता	01	अधिशाषी अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति
9	सहायक अभियन्ता	01	सहायक अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति
10	कनिष्ठ अभियन्ता	02	कनिष्ठ अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति
11	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	एम.आई.एस.प्रभारी	प्रतिनियुक्ति
12	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	एजेन्सी से
13	कनिष्ठ लेखाकार	02	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति
14	कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	कम्प्यूटर ऑपरेटर	एजेन्सी से
15	निजी सहायक	03	निजी सहायक	प्रतिनियुक्ति
16	वरिष्ठ लिपिक	02	कैशियर संस्थापन	प्रतिनियुक्ति
17	कनिष्ठ लिपिक	01	स्टोर कीपर	प्रतिनियुक्ति
18	सहायक कर्मचारी अनुबन्ध पर	10	सहायक कर्मचारी	एजेन्सी से
	योग :–	46		

जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना

क्र.सं.	पदनाम व वेतनमान	पदों की संख्या	RMSA में पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	01	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	प्रतिनियुक्ति
2	प्रधानाचार्य उमावि, समकक्ष	01	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	प्रतिनियुक्ति
3	सहायक अभियन्ता	01	सहायक निदेशक	प्रतिनियुक्ति
4	सहायक लेखाधिकारी	01	सहायक लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति
5	प्रधानाध्यापक/व्याख्याता	03	कार्यक्रम अधिकारी	प्रतिनियुक्ति
6	कनिष्ठ अभियन्ता	01	कनिष्ठ अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति
7	कनिष्ठ लेखाकार	01	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति
8	शीघ्रलिपिक	01	शीघ्रलिपिक	प्रतिनियुक्ति
9	एम.आई.एस. इंचार्ज फिक्स संविदा	01	एम.आई.एस. का कार्य	एजेन्सी से
10	कम्प्यूटर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर फिक्स संविदा पर	03	एम.आई.एस. एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	एजेन्सी से
11	कनिष्ठ लिपिक	02	कैशियर एवं स्टोरकीपर	प्रतिनियुक्ति
12	सहायक कर्मचारी फिक्स संविदा पर	03	सहायक कर्मचारी	एजेन्सी से
	योग :–	19		

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतनमान जो दिये जा रहे है, वहीं देय होंगे।

RMSA अन्तर्गत स्थापित होने वाले जिला स्तरीय कार्यालय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में स्थापित किये जायेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियमित स्टाफ को पूर्णरूप से सामाहित (Involved) किया जायेगा।

यह स्वीकृति आयोजना (जनशक्ति) विभाग के आई.डी. सं. 58 दिनांक 11.6.09 एवं वित्त विभाग के आई.डी. सं. 100903226 दिनांक 6.8.09 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग
3. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग

विशेषाधिकारी–शिक्षा

EC- दसवीं बैठक -Annexure-10

177

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्

सी–86, पृथ्वी राज रोड,सी–स्कीम, जयपुर

फोन न.: 0141–2383016,2383012 फैक्स न.: 2383017

निष्पादक समिति की अष्ठम् बैठक दिनांक 22.03.2003 का कार्यवृत्त

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की अष्ठम् बैठक दिनांक 22.03.2003 को प्रातः 11.30 बजे श्री विनोद जुत्शी, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं अध्यक्ष निष्पादक समिति की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के सभा भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे –

1. श्री संजय दीक्षित, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर
2. श्री बी.एल. जैमन, विशिष्ठ शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. श्री पी.के. गोयल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. श्री ताराचंद, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्री आलोक, निदेशक, लोक जुम्बिश परिषद् एवं सचिव शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान, जयपुर
6. डॉ॰ रमेश पारीक, उपनिदेशक, एसआईईआरटी., उदयपुर प्रतिनिधी निदेशक, एसआईईआरटी
7. श्री सत्यनारायण मेठी, प्रतिनिधि, निदेशक महिला एवं बाल विकास, राजस्थान, जयपुर
8. श्रीमती दमयन्ती शर्मा, विशेषाधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा ,प्रतिनिधि, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
9. श्रीमती ममता दाधीच, प्रतिनिधि, राज्य समन्वयक, जनशाला, झालाना क्षेत्र, जयपुर
10. श्री ए.के. हेमकार, निदेशक, डीपीईपी, राजस्थान, जयपुर

बैठक में परिषद् के निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे –

1. श्री जी.पी. वर्मा, अतिरिक्त निदेशक
2. डॉ. मोहम्मद सलीम खान, संयुक्त निदेशक
3. श्री राकेश शर्मा, नियन्त्रक वित्त
4. श्री एस.एस. शर्मा, भवन सलाहकार

- उन अधिकारियों को जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार निवास से कार्यालय आने जाने के लिए परिषद वाहन उपलब्ध कराया हुआ है, उन्हें यह वाहन भत्ता देय नही होगा।
- कर्तव्य से अनुपस्थिति,राजकीय अवकाशो के अतिरिक्त (अवकाश, ट्रेनिंग, यात्रा इत्यादि पर) उक्त भत्ता देय नहीं होगा।
- सवारी भत्ता प्राप्त करने वाले कार्मिक परिषद् के वाहनों का उपयोग राजकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं करने हेतु अधिकृत नही होंगे तथा इस प्रकार की यात्राएं उन्हें स्वयं के वाहन से करनी होंगी।
- कार्मिको को उनके नाम से पंजीकृत वाहन हेतु ही वाहन भत्ता देय होगा।
- परिषद् में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को उनके नाम से पंजीकृत किसी भी वाहन हेतु वाहन भत्ता देय होगा, लेकिन अराजपत्रित कार्मिकों को केवल दुपहिया वाहन अथवा साईकिल हेतु ही वाहन भत्ता देय होगा।
- सवारी भत्ता स्वीकृति आदेश पूर्व में ही जारी किया जा चुका है, परन्तु यह इन शर्तों के अनुमोदन की तिथि से ही देय होगा।

प्रस्ताव निष्पादक परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या– 11. **डीपीईपी में अनुबंध पर वाहनों की व्यय सीमा के संबंध में**

परिषद् मुख्यालय पर तीन एम्बेसड्र कारें खुली निविदा के आधार पर संविदा में लिये जा रहे है, इसी प्रकार जिला परियोजना कार्यालयो हेतु दो–दो वाहन एवं खण्ड संदर्भ केन्द्रो हेतु परियोजना के प्रावधानों के अनुसार वाहन किराये पर लिये जा रहे है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.11.2001 के द्वारा एक वाहन पर प्रतिमाह खर्च 12000 रूपये अधिकतम विशेष परिस्थितियों के लिये सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई दरे डीपीईपी के संबंध में बहुत कम है, इसी बात को ध्यान में रखते हुये व्यय सीमा में वृद्धि

बु संख्या– 9. परियोजना लेखों की ऑडिट के संबंध में

परियोजना के लेखा वर्ष 2001–02 तक के ऑडिट सनदी लेखाकार (सी.ए) द्वारा की जा चुकी है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सरकार को भिजवाई जा चुकी है। रिपोर्ट की प्रति समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। "परिशिष्ठ–7"

बिन्दु संख्या– 10 परिषद् में कार्यरत कार्मिकों को सवारी भत्ता प्रदान करने के संबंध में

शापी परिषद की बैठक दिनांक 11.04.2001 में निर्णय लिया गया था कि परिषद मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2001 से निम्नांकित विवरणानुसार सवारी भत्ता देय होगा:–

1.	साईकिल	–	रू. 50/–प्रतिमाह
2.	दुपहिया वाहन	–	रू. 250/–प्रतिमाह
3.	कार	–	रू. 600/–प्रतिमाह

उक्त कम में परिषद द्वारा आदेश कमांक प. (2) संस्थापन/रा प्रा शि प/ 99–2000/11286–88 दिनांक 11.10.2001 जारी किए जा चुके है, परन्तु इन आदेशो में कार्मिकों को सवारी भत्ता स्वीकृत करने हेतु कोई मानदण्ड सुनिश्चित नही किये गये है। अतः निम्नानुसार मानदण्ड सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

वाहन का प्रकार	सवारी भत्ता
कार	रू. 600 प्रतिमाह
दुपहिया वाहन (इंजन चलित)	रू.250 प्रतिमाह
साईकिल	रू. 50 प्रतिमाह

बिन्दु संख्या– 8. राजस्थान डीपीईपी द्वितीय चरण हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति हेतु की गई कार्यवाही अवलोकनार्थ

इस बिन्दु पर विचार कर निष्पादक समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि वर्तमान सनदी लेखाकार के अनुबन्ध की अवधि के समाप्त होने पर सनदी लेखाकार का चयन नये सिरे से क्यूसीबीएस प्रकिया अपनाते हुए किया जाये । इसके लिए कार्यवाही अविलम्ब अभी से प्रांरम्भ कर दी जावे।

बिन्दु संख्या– 9. परियोजना लेखों की ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में

सनदी लेखाकार द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये गये लेखों का अवलोकन कर इस बिन्दु के सम्बन्ध में निष्पादक समिति द्वारा निर्णय दिया गया कि अंकेक्षण बिन्दुओं की अनुपालना कर सरकुलेशन द्वारा निष्पादक समिति के सदस्यों से अनुमोदन करवा लिया जाये ।

बिन्दु संख्या– 10. परिषद् में कार्यरत कार्मिकों को सवारी भत्ता प्रदान करने के संबंध में

इस बिन्दु का सर्वसम्मति से अनुमोदन निष्पादक समिति द्वारा विचार –विमर्श उपरान्त किया गया ।

बिन्दु संख्या– 11. डीपीईपी में अनुबंध पर वाहनों की व्यय सीमा के संबंध में

इस बिन्दु में अंकित प्रस्ताव पर निष्पादक समिति ने विचार कर अनुबंध पर वाहनों के उपयोग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा यह निर्देश दिये गये कि आवश्यता पड़ने पर अतिरिक्त वाहन निर्धारित अवधि के लिए मंगवा लिये जावे, लेकिन वर्तमान वाहनों की व्यय सीमा रू. 12000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होने दी जावे।

EC-दसवीं बैठक - Annexure IIB

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

समीक्षा बैठक कार्यवाही विवरण 2693/31.10.11

दिनांक 09 सितम्बर, 2011 को शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान मास्टर भंवर लाल मेघवाल की अध्यक्षता में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आंतरिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

(i) श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
(ii) श्री आलोक गुप्ता, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
(iii) श्री नन्नू मल पहाड़िया, विशिष्ट सहायक, शिक्षा, श्रम एवं नियोजन मंत्री राजस्थान सरकार
(iv) श्रीमती मनीषा अरोड़ा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
(v) श्री देवकी नन्दन शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
(vi) श्री बिन्द्रा सिंह, अधिशासी अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
(vii) श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
(viii) श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
(ix) श्रीमती रचना शर्मा, सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
(x) श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
(xi) श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर

इस बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त परिषद् के कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किए :

1. **बालिका छात्रावास** :

(i) जिन बालिका छात्रावासों में वार्डन की नियुक्ति करने में कोई समस्या आ रही है उन बालिका छात्रावासों के आस–पास स्थित माध्यमिक अथवा प्रारंभिक विद्यालयों में कार्य करने वाली महिला अध्यापिका को उस बालिका छात्रावास की वार्डन नियुक्त किया जाए। इसके लिए प्रमुख शासव सचिव, शिक्षा द्वारा आदेश प्रसारित किए जाएं व स्वयं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाए।

(ii) बालिका छात्रावासों में वार्डन का कार्य करने वाली अध्यापिका को वार्डन के रूप में कार्य करने हेतु 3000/– रु. मासिक अतिरिक्त भत्ता देय है, किन्तु वार्डन को छात्रावास में आवास सुविधा मिल जाने के कारण उसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, अतः महिला अध्यापिकायें वार्डन का कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इस स्थिति के समाधान के लिए राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव भिजवाया जाए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बालिका छात्रावासों में वार्डन का कार्य करने वाली महिला अध्यापिकाओं को मिलने वाला मकान किराया भत्ता यथावत् मिलता रहे तथा उन्हें वार्डन का कार्य करने हेतु 3000/– रु. मासिक भत्ता अतिरिक्त रूप से वार्डन भत्ते के रूप में दिया जाए।

(iii) तृतीय चरण के 112 बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए इकाई लागत बढ़ाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाएं। जब तक बढ़ी हुई इकाई लागत की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक अथवा अन्य आगामी निर्देशों तक ऐसे कार्य जिनकों प्रारम्भ करने हेतु कोई कार्यादेश जारी नहीं किया गया है उनके निर्माण के लिए कार्यादेश जारी नहीं किया जाए। जिन छात्रावासों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है उन्हें पूर्व आवंटित राशि के अनुसार एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में तैयार किया जाए जिससे कि छात्रावास बालिकाओं के रहने हेतु प्रारंभ किया जा सके। यदि भविष्य में इन छात्रावासों के लिए भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो तद्नुसार अतिरिक्त निर्माण करा लिया जाएगा।

(iv) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जिन A.En. व J.En. ने कार्य ग्रहण कर लिया है उन्हें क्षेत्र में भेजकर प्रथम व द्वितीय चरण के बालिका छात्रावासों के कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति का विवरण तैयार किया जाए।

(v) प्रथम व द्वितीय चरण के 74 छात्रावासों में से जिन छात्रावासों में कार्य पूर्ण हो गया है उनकी क्वालिटी की जाँच करने हेतु एक समिति बनाई जाए। इन छात्रावासों की क्वालिटी उपयुक्त पाये जाने पर ही इन छात्रावासों के निर्माण की अंतिम किश्त का भुगतान किया जाए।

2. <u>मॉडल स्कूल</u> :

(i) प्रथम चरण के 91 मॉडल स्कूलों के साथ ही द्वितीय चरण के जिन 43 मॉडल स्कूलों के लिए राशि प्राप्त हो गई है, उन मॉडल स्कूलों का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व सभी का स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत यदि स्थान उपयुक्त पाए जाते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इनका निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर सकता है।

(ii) मॉडल स्कूलों का निर्माण करने हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जानी है, किन्तु जयपुर जिले में एक विद्यालय के लिए आवंटित जमीन हेतु ही जे.डी.ए. द्वारा लगभग 2 करोड़ रु. की राशि की मांग की गई है। अतः जयपुर जिले में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले माडल स्कूलों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव भिजवाये जाएं।

(iii) जिन ब्लॉकों में मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए अभी भी जमीन नहीं मिली है, उन ब्लॉकों में मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए ब्लॉक मुख्यालय के आस–पास के अन्य किसी उपयुक्त गाँव में भूमि की तलाश कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

(iv) जालौर में सांचौर व आहोर तथा नागौर में मकराना में मॉडल स्कूल निर्माण हेतु भूमि चयन के प्रकरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएं।

3. <u>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</u> :

(i) जब तक भारत सरकार से आरएमएसए के लिए स्वीकृत सिविल कार्यों व वार्षिक योजनाओं के अन्य कार्यों हेतु राशि प्राप्त नहीं होती है तब तक सिविल व अन्य कार्यों को स्थगित रखा जाए।

(ii) वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में निर्माण किए जाने वाले सिविल कार्यों तथा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की बजट घोषणा के क्रम में परिषद् को प्राप्त 8.75 करोड़ रु. की राज्यांश की राशि का उपयोग किया जाना यदि संभव है तो उपयोग कर लिया जाए।

(iii) वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजनाओं में जिन विद्यालयों में सिविल कार्यों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उनमें राशि प्राप्त होने पर कार्य करा लिए जाएं। वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में स्वीकृत 2392 विद्यालयों का चयन सही प्रकार से नहीं होने के कारण इन्हें निरस्त किया जाकर पूर्व में चयनित 2392 विद्यालयों के स्थान पर पुनः विधानसभा क्षेत्रवार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार से अनुमोदित करवाने के बाद भारत सरकार से संशोधित सूची की स्वीकृति प्राप्त की जाए जिससे कि सभी विधानसभा क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो सके।

(iv) अधिकतर विद्यालयों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से छोटे कमरों को भी कमरा मानकर DCF एवं तत्पश्चात् SEMIS में एण्ट्री की गयी है जिसके कारण भारत सरकार से पर्याप्त संख्या में उपयुक्त निर्धारित क्षेत्रफल के कमरों की स्वीकृति मिलना संभव नहीं हो पाया है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से छोटे कमरों को कमरा नहीं माना जाए एवं

तदनुसार आगामी DCF व SEMIS में एण्ट्रीज में संशोधन के पश्चात ही योजनायें तैयार की जाएं।

(v) मेजर रिपेयर हेतु चयनित विद्यालयों की सूची राज्य सरकार से अनुमोदित करवाई जाये तथा आवश्यकता हो तो संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाएं।

(vi) विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन करवाने में समस्या आ रही है तो सौर ऊर्जा व नवीकरण योग्य ऊर्जा विभाग के साथ संपर्क स्थापित कर विद्यालयों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करवाने के प्रयास किए जाएं।

(vii) विद्यालयों को वार्षिक विद्यालय अनुदान मद में प्राप्त प्रति विद्यालय 50000/– रु. की राशि का सभी विद्यालयों को एक समान रूप से तथा केवल तीन मदों हेतु वितरण करने के स्थान पर छात्रों के नामांकन के आधार पर पुनर्वितरित करने तथा तीन के स्थान पर नौ मदों में व्यय करने की स्वीकृति, जो निष्पादक समिति की सातवीं बैठक दिनांक 24.02.2011 को प्रदत्त की गई थी, सही है तथा इसे अमल में लाया जाए। इस पुनर्वितरण में 150 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में अधिकतम 43,000/– रु., 151 से 300 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में अधिकतम 50,000/– रु., 301 से 800 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में अधिकतम 70,000/– रु. तथा 800 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में अधिकतम 1,00,000/– रु. प्रति विद्यालय के अनुसार वितरित किया जाना है। इसी प्रकार प्रयोगशाला उपकरण मद, विद्युत व पेयजल सुविधा मद तथा पुस्तकालय व वाचनालय में पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं आदि के क्रय हेतु प्राप्त राशि को विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य मदों यथा सहशैक्षिक गतिविधि, टेलीफोन व इन्टरनेट कनेक्शन, कार्यालय व्यय, खेलकूद गतिविधि, अन्य आकस्मिक खर्चों आदि को पूरा करने में होने वाले व्यय में भी उपयोग में ले सकती है। इस प्रकार नामांकन के अनुसार राशि का पुनर्वितरण तथा विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप मदों के निर्धारण की छूट उचित निर्णय है अतः इस कार्यवाही पर अमल करना जारी रखा जाए।

4. <u>सामान्य दिशा निर्देश</u> :

(i) अनेक गतिविधियों में प्राप्त होने वाली इकाई लागत अपर्याप्त है अतः स्वीकृत इकाई लागत में वांछित संशोधन के प्रस्ताव उसके औचित्य सहित राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

(ii) जिस किसी भी गतिविधि में कोई योजना बनानी है तो उसकी सूचना व जानकारी राज्य सरकार को दी जाए तथा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही यह योजना भारत सरकार को प्रेषित की जाए।

(iii) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की विभिन्न गतिविधियों में से जिन कार्यों हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उन कार्यों में राशि प्राप्त करने हेतु परिषद् में कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता तथा सहायक निदेशक (बालिका छात्रावास) स्वयं दिल्ली जाकर प्रयास करें तथा राशि प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए राशि जारी करवायें। यदि आवश्यकता हो तो इस कार्य में उच्च अधिकारीगण का भी सहयोग प्राप्त किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

2693/31.10.11

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
6. अधिशासी अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
7. समस्त सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

EC-दसवीं बैठक - Annexure-II

New programmes/Scheme/Projects to be Under taken during Twelth Five Year Plan (2012-17)														
S. No.	Name of proposed New Programmes/ Scheme/ Project *	Total Outlay proposed for 12th Plan (Rs. in lakhs)	Expected Outcome (In physical numbers)	Unit cost (Rs in lakhs)	Year wise Proposed Financial Outlay/ Physical Targets									
					Financial Outlay (Rs. in lakhs)					Physical Targets				
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	**RMSA (Recurring Grant)**													
	1. Training & Quality													
	1.1 In-service training for exsisting secondary school teachers	1500.00	Training of 1,00,000 Teachers	0.015 (per teacher for five days)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	1.2 Training for headmasters	225.00	Traning of 15,000 Head masters	0.015 (per HM for five days)	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	1.3 Training for Librarians	22.50	Training of 2,500 Librarians	0.009 (per librarian for three days)	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	500	500	500	500	500
	1.4 Training for Radio Programme	30.00	Tranings of 10,000 English Teachers	0.003 (per teacher for one days)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	1.5 Yoga Training for Physical Education teachers	112.50	Yoga Traning to 7500 PET	0.015 (per PET for five days)	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	1.6 Leadership Training for Education Officers (Deo, DDs)	12.50	Leadership Training to 250 Education Officers	0.050 (per officer for five days)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	50	50	50	50	50
	1.7 Training for SMDC members	315.00	Training to 1,05,000 SMDC Members	0.003 (per person for one days)	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
	1.8 Production of Radio Programme (100 Episode)	70.00	Production of 350 episodes in five years	0.200 (per episode)	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	100	100	50	50	50
	1.9 Broadcasting of Radio program	35.00	Broadcasting of 350 episodes on Radio stations in 5 years	0.100 (for broadcasting of one episode)	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100	100	50	50	50
	1.10 Excursion trip for Class X Student (Intra State)	5950.00	Trip for 29,75,000 Students in 5 years by taking 50 Students per School	0.002 (per Student)	1150.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	575,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	1.11 Study tour for Student (inter state)	66.00	Trip for 3,300 Students in 5 years by taking 20 Students per District	0.020 (per student)	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	660	660	660	660	660
	1.12 Book fairs (District Level)	165.00	Organization of 165 book fair by organizing 1 book fair in each district every year	1.00 (per fair per district)	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33	33	33	33	33
	Total of Quality (RMSA)	**8503.50**			**1669.70**	**1719.70**	**1704.70**	**1704.70**	**1704.70**					

New programmes/Scheme/Projects to be Under taken during Twelth Five Year Plan (2012-17)														
S. No.	Name of proposed New Programmes/ Scheme/ Project *	Total Outlay proposed for 12th Plan (Rs. in lakhs)	Expected Outcome (In physical numbers)	Unit cost (Rs in lakhs)	Year wise Proposed Financial Outlay/ Physical Targets									
					Financial Outlay (Rs. in lakhs)					Physical Targets				
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. ACCESS													
	2.1 School Annual Grant	28750.00	School Annual Grant for 11500 Schools per year	0.500 (per school per year)	5750.00	5750.00	5750.00	5750.00	5750.00	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
	2.2 Minor Repair	13750.00	School Annual Grant for Minor Repairing of School Building for11000 Schools per year	0.250 (per school per year)	2750.00	2750.00	2750.00	2750.00	2750.00	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	2.3 Additional Teachers	204000.00	Recruitment of 17,600 Additional Senior Teacher in five years.	2.400 (per teacher per year)	37440.00	39840.00	42240.00	42240.00	42240.00	15,600	16,600	17,600	17,600	17,600
	Total of Access	**246500.00**	**0**		**45940.00**	**48340.00**	**50740.00**	**50740.00**	**50740.00**					
	3. RMSA (Non Recurring Grant)													
	3.1 New Construction for Strengthing of Existing schools	413774.70	New Construction for Strengthning of 11,100 Schools in	37.277 (per school)	118578.14	112651.09	60761.51	60761.51	61022.45	3181	3022	1630	1630	1637
	3.2 Major Repairing	13396.00	Major Repairing works in 3,349	4.00 (per school)	3968.00	2360.00	2360.00	2360.00	2348.00	992	590	590	590	587
	Total of Non Recurring	**427170.70**			**122546.14**	**115011.09**	**63121.51**	**63121.51**	**63370.45**					
	Grand Total of RMSA	**682174.20**			**170155.84**	**165070.79**	**115566.21**	**115566.21**	**115815.15**					

New programmes/Scheme/Projects to be Under taken during Twelth Five Year Plan (2012-17)														
S. No.	Name of proposed New Programmes/ Scheme/ Project *	Total Outlay proposed for 12th Plan (Rs. in lakhs)	Expected Outcome (In physical numbers)	Unit cost (Rs in lakhs)	Year wise Proposed Financial Outlay/ Physical Targets									
					Financial Outlay (Rs. in lakhs)					Physical Targets				
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	**Girls Hostel**													
	1. Girls Hostel (Recurring Grant)	13271.10	Running 186 Girls Hostels in EBB every year	14.270 (per hostel per year)	2654.22	2654.22	2654.22	2654.22	2654.22	186	186	186	186	186
	2. Girls Hostel (Non Recurring Grant)	2975.00	Construction of 70 Girls Hostel	42.500 (per hostel)	2975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	0	0	0	0
	Grand Total of Girls Hostel	**16246.10**			**5629.22**	**2654.22**	**2654.22**	**2654.22**	**2654.22**					
C	**Model School**													
	1. Model School Scheme (Recurring Grant)	51900.00	Running 186 Model Schools in EBB	75.000 (per model school)	10050.00	13950.00	13950.00	13950.00	13950.00	134	186	186	186	186
	2. Model School Scheme (Non Recurring Grant)	56172.00	Construction of 186 Model Schools in EBB	302.000 (per model school)	40468.00	15704.00	0.00	0.00	0.00	134	52	0	0	0
	Grand Total of Model School	**108072.00**			**50518.00**	**29654.00**	**13950.00**	**13950.00**	**13950.00**					

EC-दसवीं बैठक- [illegible]

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

समीक्षा बैठक कार्यवाही विवरण

2692/31.10.11

दिनांक 26.09.2011 को माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान मा. भँवर लाल मेघवाल की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री अशोक संपतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
2. श्री नन्नू मल पहाड़िया, विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री (शिक्षा, श्रम एवं नियोजन) राजस्थान।
3. डॉ. मनीषा अरोड़ा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
4. श्री बिन्द्रा सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
5. श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
6. श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
7. श्रीमती रचना शर्मा, सहायक निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
8. श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, रामाशिप, जयपुर।

इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए :

1. प्रथम चरण के सभी 91 मॉडल स्कूलों के लिए चयनित भूमि की उपयुक्तता बाबत् निरीक्षण दलों द्वारा स्थल–निरीक्षण किया जाकर निर्धारित प्रर्फोमा में एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. मॉडल स्कूलों के निर्माण के स्थानों की आवागमन के साधनों, बिजली–पानी की उपलब्धता, सड़क से जुड़ाव, विद्यार्थियों के नामांकन की संभावित स्थिती, विद्यार्थियों व शिक्षकों सहित समस्त स्टॉफ के रहने हेतु किराये के आवासों की उपलब्धता आदि के अनुसार उपयुक्तता की भी जाँच की जाए। यदि यह पूर्व चयनित स्थान किसी भी दृष्टि से मॉडल स्कूल निर्माण हेतु योग्य नहीं पाया जाता है तो इस स्थान पर मॉडल स्कूल का निर्माण नहीं किया जाए।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित किया जाए कि पूर्व में जिन स्थानों पर मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था वहाँ मॉडल स्कूलों का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं किया जाए। इन मॉडल स्कूलों का निर्माण तभी प्रारंभ किया जाए, जब मॉडल स्कूलों के संशोधित स्थानों की सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर दी जाए।
4. परिषद् की सिविल शाखा द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले निर्माण कार्यों के सभी प्रस्तावों में बॉउन्ड्री वॉल का प्रस्ताव अवश्य शामिल किया जाए। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं व पत्रावली पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाए।

5. बालिका छात्रावासों के भवनों में सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यथा भवनों के दरवाजों व खिड़कियों पर पत्थर के स्थान पर अच्छी शीशम की लकड़ी की चौखट लगवाई जाए, भवनों के खुले चौक वाले स्थानों को लोहे के मजबूत जालों से ढकना आदि कार्यवाही की जाए।

6. बालिका छात्रावासों में से जिन बालिका छात्रावासों के निर्माण का कार्य पूर्ण होने वाला है या हो गया है निविदा शर्तों के अनुसार उनमें ठेकेदार की सिक्यौरिटी राशि रोक ली जाए। सभी बालिका छात्रावासों के निर्माण की क्वालिटी जांच टीम बनाकर करवाई जाए। जिन बालिका छात्रावासों के निर्माण को इस टीम द्वारा सही बताया जाए उन्हीं का अंतिम भुगतान किया जाए अन्यथा नहीं।

7. बालिका छात्रावासों में वार्डन प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों में से लगा सकने हेतु प्रसारित किए जाने वाले आदेश के लिए प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव शिक्षा को भेजे गए हैं।

8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत योजना में सिविल निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तावित सूची में विधानसभा क्षेत्रवार संतुलित प्रस्ताव नहीं बनाये गये हैं, अतः इन 2392 विद्यालयों की पूर्व स्वीकृत सूची को विधानसभावार बनाकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाए जिससे कि विधानसभावार संतुलित विकास संभव हो सके। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार नये बनने वाले प्रस्तावों को संशोधन स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किए जाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इन संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही वर्ष 2011–12 के आरएमएसए के सिविल निर्माण कार्यों को प्रारंभ किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

2692-31/10/11

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान एवं पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
6. अधिशासी अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
7. समस्त सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

EC - दूसरी बैठक - Annexure - 11-D

Use of distance matrix in SM

- To illustrate, let us take the following example in a cluster of 10 habitations, namely **V1, V2, ..., V10**
- The size of these habitations in terms of population is given in the following grid
- The distance norm is the maximum walking distance of 5.0 km.
- A habitation to be eligible for a secondary school/section, the total enrolment in grade VIII of upper primary schools located in the catchment area should be 25 or more
- The available schooling provisions in the habitations are given in the following grid

Use of distance matrix in SM

Habitation	Total Population (All Age Groups)	Available Schooling Facilities	Enrolment in Grade VIII (Latest Year)	Enrolment in Classes IX-X (Latest Year)
V1	560	PS	-	-
V2	1560	HSS with SS	87 (in 02 sections)	172 (in 04 sections)
V3	920	UPS	29	-
V4	510	UPS	28	-
V5	780	UPS	22	-
V6	1116	UPS	43	-
V7 (small hill top habitation)	289	PS	-	No land available for establishing a secondary school
V8	1237	UPS	84	-
V9	426	PS	-	-
V10	1482	UPS	67	-

Relationship between habitations in terms of walking distance

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	4.0	7.0	9.0	7.5	11.5	4.0	4.0	10.5	15.0
V2	4.0	0	2.5	8.0	7.5	5.0	6.5	9.0	11.0	16.0
V3	7.0	2.5	0	4.0	8.0	10.5	4.5	9.0	6.0	4.0
V4	9.0	8.0	4.0	0	4.0	10.0	3.5	12.5	7.0	4.0
V5	7.5	7.5	8.0	4.0	0	4.0	4.5	9.5	3.0	10.0
V6	11.5	5.0	10.5	10.0	4.0	0	5.5	6.0	8.0	4.0
V7	4.0	6.5	4.5	3.5	4.5	5.5	0	3.5	8.0	4.0
V8	4.0	9.0	9.0	12.5	9.5	6.0	3.5	0	2.5	11.0
V9	10.5	11.0	6.0	7.0	3.0	8.0	8.0	2.5	0	4.5
V10	15.0	16.0	4.0	4.0	10.0	4.0	4.0	11.0	4.5	0

Status of Previous years sanctioned Schools under RMSA

S.no.	District	No. of new schools sanctioned under RMSA												Progress (No. of schools functioning)				Remarks
		2009-10			2010-11			2011-12			Total			Against 2009-10	Against 2010-11	Against 2011-12	Total	
		1 sec	2 sec	Total	1 sec	2 sec	Total	1 sec	2 sec	Total	1 sec	2 sec	Total					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
	TOTAL	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0	

Relationship between habitations in terms of walking distance

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	4.0	7.0	9.0	7.5	11.5	4.0	4.0	10.5	15.0
V2	4.0	0	2.5	8.0	7.5	5.0	6.5	9.0	11.0	16.0
V3	7.0	2.5	0	4.0	8.0	10.5	4.5	9.0	6.0	4.0
V4	9.0	8.0	4.0	0	4.0	10.0	3.5	12.5	7.0	4.0
V5	7.5	7.5	8.0	4.0	0	4.0	4.5	9.5	3.0	10.0
V6	11.5	5.0	10.5	10.0	4.0	0	5.5	6.0	8.0	4.0
V7	4.0	6.5	4.5	3.5	4.5	5.5	0	3.5	8.0	4.0
V8	4.0	9.0	9.0	12.5	9.5	6.0	3.5	0	2.5	11.0
V9	10.5	11.0	6.0	7.0	3.0	8.0	8.0	2.5	0	4.5
V10	15.0	16.0	4.0	4.0	10.0	4.0	4.0	11.0	4.5	0